

I
A
S



P
C
S

अलेख सार

अंक - 7



संपादकीय Analysis 360°



एक कदम, सफलता की ओर।।।

प्रिय अभ्यर्थियों!

जैसा कि आप जानते हैं, कि जी०एस० वर्ल्ड प्रबंधन पिछले कुछ वर्षों से लगातार आपके अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता संवर्धन हेतु सतत प्रयासरत है, जिसके लिए दैनिक स्तर पर अंग्रेजी समाचार पत्रों का सार एवं जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही साप्ताहिक स्तर पर हिन्दी समाचार पत्रों का सार उपलब्ध कराया जाता था, किंतु सिविल सेवा परीक्षा के बढ़ते स्तर एवं बदलते प्रश्नों को देखते हुए जीएस वर्ल्ड प्रबंधन ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के सार के स्थान पर अर्द्धमासिक स्तर पर संपादकीय Analysis 360° आरंभ किया है।


संपादकीय Analysis 360° में नया क्या है?

- इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न हिन्दी समाचार पत्रों में आए संपादकीय लेखों का सार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन संपादकीय लेखों को समग्रता प्रदान करने के लिए इनसे जुड़ी सभी बेसिक अवधारणाओं को जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन मुद्दों से संबंधित 2013 से अब तक सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी नीचे दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी उस मुद्दे से जुड़े प्रश्नों को समझ सकें।
- इन मुद्दों से संबंधित संभावित प्रश्नों को भी इन आलेखों के साथ दिया गया है, जिसका अभ्यास अभ्यर्थी स्वयं कर संस्थान में अपने उत्तर की जांच भी करा सकते हैं।

जीएस वर्ल्ड प्रबंधन आपके उज्वल एवं सफल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।।।

Committed To Excellence

नीरज सिंह
(प्रबंध निदेशक, जीएस वर्ल्ड)



विषय-सूची

1. इसरो की कोशिश नाकाम : जीसैट-6ए असफल 4
2. नए वित्त वर्ष की शुरूआत : उम्मीद एवं संशय 7
3. फेक न्यूज पर बहस 10
4. एक कदम पीछे 14
5. स्वस्थ भारत का बीजारोपण 16
6. भारत एवं नेपाल संबंध 18
7. भारत-चीन संबंध 23
8. गणित पर गणित : सीबीएसई बोर्ड 27

इसरो की कोशिश नाकाम : जीसैट-6ए असफल

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

हाल ही में इसरो द्वारा श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी के जरिए जीसैट-6ए संचार उपग्रह को छोड़ा गया, लेकिन 2 दिन बाद इसमें गड़बड़ी आ गयी। इस गड़बड़ी का क्या कारण था तथा इसका पावर सिस्टम क्यों फेल हो गया? इस संबंधित मुद्दे को हिन्दी समाचार पत्रों 'जनसत्ता' और 'दैनिक ट्रिब्यून' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

इसरो को झटका (जनसत्ता)

संचार उपग्रह जीसैट-6 ए का नियंत्रण कक्ष से अब तक संपर्क स्थापित नहीं हो पाना चिंता की बात तो है ही, साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए बड़ा झटका भी है। इसरो ने पिछले गुरुवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी के जरिए इस उपग्रह को छोड़ा था। लेकिन दो दिन बाद ही इसमें गड़बड़ी आ गई। रविवार को इसरो ने आधिकारिक रूप से बताया कि जीसैट-6 ए से संपर्क टूट गया है। गौरतलब है कि इसमें 31 मार्च की सुबह तक सब ठीक होने की खबर थी और उपग्रह को दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया गया था। अगले दिन यानी एक अप्रैल को इसे तीसरी और अंतिम बार कक्षा में पहुंचाने के लिए इंजन दागा जाना था। लेकिन उसके पहले ही संपर्क टूट गया था। इसरो प्रमुख ने खुद भी माना है कि संपर्क टूटने की शुरुआती वजह उपग्रह को सौर ऊर्जा मुहैया कराने वाली प्रणाली में खराबी आना हो सकती है। नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटने की सूत में उपग्रह सामान्यतया पांच से छह मिनट में सेफ मोड से सामान्य मोड में आ जाते हैं और नियंत्रण कक्ष से संपर्क कायम हो जाता है। लेकिन जीसैट-6 ए के मामले में ऐसा नहीं हुआ।

अभी तक नियंत्रण कक्ष को इस बारे में संकेत नहीं मिले हैं कि उपग्रह कहां है। हालांकि अभी यह कह देना जल्दबाजी होगी कि इसरो का यह मिशन पूरी तरह से नाकाम हो गया है। लेकिन जिस तरह शनिवार को पूरे दिन इसरो ने इस खबर को दबाए रखा, उससे लोगों के मन में संदेह पैदा हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस गड़बड़ी से निपटने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त बीतता जा रहा है, उम्मीदें धूमिल पड़ती जा रही हैं और मिशन की कामयाबी को लेकर संदेह गहराता जा रहा है। सवाल उठता है कि दो सौ सत्तर करोड़ रुपए खर्च से तैयार जिस उपग्रह को दस साल तक काम करना था, वह दो दिन

कुछ मुश्किल जरूर हुई इसरो की राह (दैनिक ट्रिब्यून)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम (इसरो) के लिए 29 मार्च को स्पेस में छोड़ी गई जीसैट-6ए सैटेलाइट की नाकामी एक बड़ा झटका है। इस उपग्रह का पावर सिस्टम फेल हो गया, जिससे इसका इसरो से संपर्क टूट गया। हालांकि प्रक्षेपण के दिन इसरो ने इसे एक कामयाब मिशन बताया था, लेकिन 48 घंटे तक संपर्क की कोशिशों के बाद इसरो ने साफ किया है कि जब यह सैटेलाइट खुद को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के अंतिम चरण में था, उस वक्त पृथ्वी से इसका संपर्क टूट गया।

सेना के लिए बेहद काम के एस-बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर 270 करोड़ रुपये की लागत आई थी और इसे अंतरिक्ष में पहले से काम कर रहे जीसैट-6 के साथ मिलकर कम्युनिकेशन का सिस्टम पूरा करना था। यानी ये दोनों एक प्रकार के जुड़वा सैटेलाइट थे और इस लिहाज से जीसैट-6ए की नाकामी में जीसैट-6 आधा-अधूरा काम ही काम कर पाएगा। पिछले साल 2017 में पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की असफलता के बाद इसरो को यह दूसरा झटका है, जिससे उसके मून मिशन का प्रभावित होना लाजिमी है।

आर्थिक पैमाने पर देखें तो पीएसएलवी के बाद जीसैट के नाकाम हो जाने से दोनों को मिलाकर करीब 700 करोड़ रुपये का यह नुकसान एक दीर्घकालिक असर छोड़ते दिख रहा है। हो सकता है कि अभी तक जो देश अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो की सेवाएं लेने की योजना बना चुके हैं या इसका मन बना रहे हैं, वे अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करें। पर सच्चाई यह है कि आज की तारीख में दुनिया के दूसरे मुल्कों के पास इसरो से बेहतर विकल्प है ही नहीं। जहां तक रॉकेट से प्रक्षेपण का सवाल है तो पीएसएलवी से ही अब तक के 40 से अधिक प्रक्षेपणों में से पीएसएलवी के सिर्फ दो मिशन नाकाम रहे हैं।

कभी साइकिल से रॉकेट के पुर्जे ढोने वाले इसरो ने जिस तरह दुनिया भर के दर्जनों उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाए हैं, वैसी सफलता

के भीतर ही कैसे ध्वस्त हो गया! जाहिर है, इसकी कोई एक वजह भी हो सकती है और अनेक भी। लेकिन इसमें कोई आकलन की या फिर तकनीकी चूक रही होगी।

यह कोई पहली बार नहीं हुआ है जब इसरो को इस तरह की विफलता का सामना करना पड़ा हो। पिछले बीस साल में यह छटा मौका है जब इसरो के एक बड़े और महत्वपूर्ण अभियान को झटका लगा है। इससे पहले इसरो चार संचार उपग्रह और एक नेविगेशन उपग्रह छोड़ चुका है, जो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। सबसे पहला संचार उपग्रह आइएनएसटी-2डी जून 1997 में छोड़ा गया था। इसके बाद जुलाई 2006, अप्रैल 2010 और दिसंबर 2010 में संचार उपग्रह छोड़े गए थे। पिछले साल अगस्त में एक नेविगेशन उपग्रह छोड़ा गया था। और पीछे जाएं तो पिछले बत्तीस साल में बारह बार ऐसा हुआ जब ऐसे मिशन नाकाम रहे। इनमें असफलता के मामले सबसे ज्यादा संचार उपग्रहों में सामने आए। जीसैट-6 ए संचार उपग्रह की अहमियत सेना के संचार तंत्र के लिए है और इसे खासतौर से सैन्य उपयोग के मकसद से तैयार किया गया था। इससे जो आंकड़े और जानकारियां मिलनी हैं, उनसे दुश्मन के ठिकानों का सटीक पता चल सकेगा। जाहिर है, अगर इसरो का नियंत्रण कक्ष इससे संपर्क स्थापित नहीं कर पाता है तो यह सैन्य अभियानों के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसके बावजूद उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए यह एक सबक होगा।



2140 किलोग्राम वजन	270 करोड़ लागत
10 साल तक अंतरिक्ष में काम करेगा सैटलाइट	17 मिनट में सैटलाइट कक्षा में स्थापित
GSLV-F08 रॉकेट की मदद से स्पेस में पहुंचा सैटलाइट	415.6 टन है जीएसएलवी रॉकेट का वजन

संभावित प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित सैटलाइट जीसैट 6-ए का संपर्क टूटना इसरो के समक्ष विभिन्न तकनीकी चुनौतियों को दर्शाता है। इसरो के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों को स्पष्ट करते हुए इसके निदान हेतु उपाय सुझाए।

(250 शब्द)

किसी दूसरे विकासशील देशों की किस्मत में नहीं बदी है। इसमें भी ज्यादा रेखांकित करने वाली बात यह है कि जितना धन अमेरिकी स्पेस सेंटर-नासा अपने स्पेस मिशन पर एक साल में खर्च करता है, उतने पैसों में इसरो 40 साल तक काम करता रह सकता है। यही नहीं, पीएसएलवी की मदद से हमारा देश उपग्रहों की व्यावसायिक लॉन्चिंग दुनिया में सबसे कम कीमत पर कर रहा है। आम तौर पर एक सामान्य आकार की पीएसएलवी से लॉन्चिंग 100 करोड़ रुपयों की पड़ती है, जबकि अमेरिका के एटलस-5 से इसकी कीमत 6692 करोड़ रुपये होती है। हालांकि अभी भी सैटेलाइट लॉन्चिंग के स्पेस मार्केट में अमेरिका की हिस्सेदारी 41 फीसदी तक है, जबकि इसरो की हिस्सेदारी सिर्फ चार प्रतिशत। गौरतलब है कि इसरो ने इस तरह की लॉन्चिंग के कारोबार का जिम्मा अपने सहयोगी संगठन एट्रिक्स कॉरपोरेशन को दे रखा है और इस संगठन ने पीएसएलवी की पहली लॉन्चिंग से बाद से 2014 तक साढ़े चार अरब रुपये कमा कर दिए हैं।

उल्लेखनीय बात यह है कि एशियाई क्षेत्र में चीन के अलावा कोई अन्य पड़ोसी मुल्क स्पेस के मामले में भारत की बराबरी नहीं कर पा रहा है। पिछले प्रक्षेपण से एक साथ 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाने पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा था कि कम निवेश के बावजूद स्पेस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लेवल हासिल कर इसरो ने बड़ा काम किया है। वर्ष 2016 में इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 2013 में अमेरिका का स्पेस बजट सबसे अधिक 39.3 अरब डॉलर था, चीन 6.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे, रूस, 5.3 अरब डॉलर के साथ तीसरे और जापान 3.6 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर था। इन सभी देशों के मुकाबले भारत का बजट महज 1.2 अरब डॉलर था।

बहरहाल, यह स्पष्ट है कि जीसैट की हालिया नाकामी का जो कुछ असर होगा, वह बहुत क्षीण होगा और इससे इसरो की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। यहाँ दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ताजा नाकामी के बाद इसरो प्राइवेट एजेंसियों की मदद लेगा। इस संदर्भ में यह तथ्य ध्यान में रखना होगा कि अब इसरो का खास ध्यान अंतरिक्ष से देश के लिए पूंजी जुटाने पर है। अब उसकी कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर की मदद से वह उपग्रहों और रॉकेटों के निर्माण में तेजी लाए और उन रॉकेटों के जरिए विभिन्न देशों के सैटेलाइट बेहद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अंतरिक्ष में छोड़े और इससे राजस्व कमाए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी- नासा भी लंबे अरसे से अपने ज्यादातर अभियानों में निजी क्षेत्र की मदद लेती रही है।

उम्मीद करें कि निजी सहभागिता इसरो के कामकाज में तेजी लाएगी और इससे होने वाली कमाई से भारत अंतरिक्ष संबंधी वे कामयाबियां हासिल करने की तरफ बढ़ सकेगा, जिनका सपना अभी विकसित देश भी देख रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को अपने एक अहम मिशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को लॉन्च किए गए GSAT & 6A का संपर्क इसरो के कम्युनिकेशन विंग से टूट गया है।
- इसरो ने अपनी वेबसाइट पर खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कम्युनिकेशन बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। बता दें कि इसके पहले पिछले साल 31 अगस्त, 2017 को भी स्पेस एजेंसी का एक मिशन नाकामयाब हो गया था।

LAM इंजन का इस्तेमाल

- इसरो ने पहली बार जीसैट-6ए में नए इंजन का इस्तेमाल किया है। इसे लैम (Liquid Apogee Motor) कहा जाता है।
- वेबसाइट पर बताया गया है कि कम्युनिकेशन उस वक्त टूटा जब फाइनल राउंड के लिए कन्फिगरेशन प्रॉसेस किया जा रहा था।

कब किया गया था लॉन्च?

- इसरो ने 29 मार्च को जीएसएलवी-एफ08 रॉकेट के जरिए जीसैट-6ए को लॉन्च किया था। इसे पृथ्वी से 35,900 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया गया था।
- 31 मार्च को 53 मिनट की फायरिंग प्रॉसेस की गई। यह कक्षा में दूसरी स्थापना के लिए किया जाता है। 1 अप्रैल की सुबह जब जीसैट को नॉर्मल ऑपरेशन के लिए तीसरे राउंड की फायरिंग के लिए बूट किया गया तो इसका संपर्क इसरो की कम्युनिकेशन विंग से टूट गया।

समस्या?

- जानकारों की मानें तो इसरो को सैटेलाइट की लॉन्चिंग में महारत हासिल है। कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद भी सैटेलाइट को नॉर्मल फंक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है और इसमें कई बार दिक्कतें सामने आती हैं।
- कहा जा रहा है कि इसरो इस सैटेलाइट को फिर से कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन, हो सकता है कि इसमें कुछ वक्त लगे।

GSAT-6A से क्या होगा?

- रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2140 किलोग्राम के इस सैटेलाइट से बेहद दूर-दराज के इलाकों में भी संचार सेवाएं आसानी से स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए बड़े टॉवरों की जगह हैंड-हैल्ड टर्मिनल्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। GSAT-6A का इस्तेमाल 10 साल तक किया जा सकेगा।

- दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए तो इस सैटेलाइट का खासा महत्व है। उनके लिए देश के किसी भी हिस्से में संपर्क करना बेहद आसान हो जाएगा।
- इस तरह के 9 सैटेलाइट इसरो अगले 9 महीने में लॉन्च करने वाला है।

जीसैट-6ए

- 270 करोड़ रुपए लागत 21.40 क्वंटल वजन। 1.53 X 1.56 X 2.4 साइज।

इसरो

- कब हुई स्थापना? : वर्ष 1969 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) की स्थापना हुई। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है।
- इसे भारत सरकार के 'स्पेस डिपार्टमेंट' द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।
- के. सिवान को इसरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

वर्ष 1975 की उपलब्धियाँ

- भारत के प्रथम उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था। इसरो द्वारा छोड़ा गया। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट थे।
- पूर्णतः स्वदेश निर्मित यह स्पेसक्रॉफ्ट अंतरिक्ष में भारत की मजबूत उपस्थिति का परिचायक बना।

वर्ष 1993 की उपलब्धियाँ

- पीएसएलवी यानी कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अस्तित्व में आया।
- प्रक्षेपण यान ऐसे रॉकेट्स को कहते हैं, जो उपग्रहों, मानव रहित और मानव सहित यानों को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करते हैं।

वर्ष 2014 की उपलब्धियाँ

- इसरो की मदद से भारत पहले ही प्रयास में मंगल तक सफलतापूर्वक पहुँचने वाला पहला देश बना।
- नासा, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम और यूरोपीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अलावा, रेड प्लैनेट यानी मंगल पर पहुँचने वाला इसरो चौथा अंतरिक्ष संगठन बना।

वर्ष 2017 की उपलब्धियाँ

- 15 फरवरी, 2017 को इसरो ने अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किये। इन सैटेलाइट्स को पीएसएलवी-सी 37 द्वारा एक ही लॉन्च कार्यक्रम के जरिये छोड़ा गया। 29 जुलाई, 2017 को इसरो ने GSAT-17 नामक संचार उपग्रह छोड़ा। GSAT-17 को लगभग 15 वर्षों के लिये डिजाइन किया गया है।

नए वित्त वर्ष की शुरुआत : उम्मीद एवं संशय

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में वित्त वर्ष की शुरुआत हो गयी। इसी के साथ कुछ वित्तीय बदलाव भी लागू हो गए। इस वित्त वर्ष में कर चोरी रोकने और कर संग्रह को भरसक डिजिटल रूप देने के इरादे से ई-वे बिल का तरीका अपनाया गया है। इसके साथ कई अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे से संबंधित हिन्दी समाचार पत्रों 'बिजनेस स्टैंडर्ड', 'जनसत्ता', नवभारत टाइम्स तथा दैनिक जागरण में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

अनिश्चितता का दौर (बिजनेस स्टैंडर्ड)

नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, लिहाजा समाप्त वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित आंकड़ों का परीक्षण करना श्रेयस्कर है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल पता चले। गत वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से मची व्यापक उथलपुथल के चलते न केवल सरकारी राजस्व बल्कि निजी क्षेत्र का कामकाज भी प्रभावित हुआ। शुरुआती दौर की अड़चनों को परे रखें तो यह साफ है कि जीएसटी को लागू करने का कदम न केवल लक्षित राजस्व जुटाने के मामले में सफल रहा है बल्कि आशंकाओं के उलट इससे महंगाई भी नहीं बढ़ी है।

असल में, 2017-18 के बड़े हिस्से में मुद्रास्फीति अनुमान से भी कम रही। हालांकि समाप्त वित्त वर्ष के अंतिम दौर में एक बार फिर मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले दबाव नजर आने लगे। इससे व्यापक आर्थिक संकेतकों के बारे में पहले की तुलना में अधिक अनिश्चितता दिखने लगी है। जनवरी 2018 के आखिर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 65 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चले गए थे। राजकोषीय घाटे के अलावा चालू खाते के घाटे पर भी इसका असर हो सकता है। राजकोषीय एकीकरण के लिए अपनी योजनाओं में नरमी लाने का सरकार का निर्णय इस बात का संकेत है कि व्यापक आर्थिक चिंताएं अधिक अहम हो रही हैं। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बॉन्ड बाजार में गिरावट का दौर देखा गया। दस साल की अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर मुख्य प्रतिफल वित्त वर्ष में अधिकांश समय बढ़त पर ही रहा। पिछले कई दशकों में यह सबसे अधिक बॉन्ड प्रतिफल देने वाला साल रहा। हालांकि अब सरकार ने अपने उधारी कार्यक्रम को नए सिरे से तैयार कर बॉन्ड बाजार में कुछ हद तक स्थिरता लाने की कोशिश की है।

हालांकि बॉन्ड बाजार में भगदड़ कायम रहने के कुछ अवयव अब भी निहित हैं। मध्यम एवं लंबी अवधि के गिल्ट फंड को 2017-18 में नुकसान उठाना पड़ा और नए वित्त वर्ष में भी उनका प्रदर्शन बेहतर होने की कोई निश्चितता नहीं है। पिछले साल के खराब प्रदर्शन के बावजूद खुदरा निवेशकों ने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में अपने पैसे लगाने जारी रखे। इक्विटी बाजार के लिए क्या यह साल अच्छा रहने का सूचक है? निफ्टी वर्ष 2017-18 में करीब 12 फीसदी की बढ़त पर रहा। वैसे वित्त वर्ष के आखिर में इक्विटी बाजार में करीब 10 फीसदी की गिरावट भी देखी गई, इसके बावजूद यही कहा जा रहा है कि बाजार 'काफी महंगा' हो चुका है। कंपनियों की कमाई अनुमानों से कम रहने का सिलसिला जारी है। जहां रियल्टी शेरों का प्रदर्शन अच्छा रहा है वहीं नियामकीय

उम्मीद और संशय (जनसत्ता)

एक रोज पहले नया वित्तवर्ष शुरू हो गया। इसी के साथ कुछ वित्तीय बदलाव भी लागू हो गए। इनमें सबसे अहम है ई-वे बिल। कर चोरी रोकने और कर संग्रह को भरसक डिजिटल रूप देने के इरादे से ई-वे बिल का तरीका अपनाया गया है। यों सरकार की मंशा के मुताबिक इसकी शुरुआत और पहले हो जानी चाहिए थी। पर तकनीकी और व्यवस्थागत खामियों के चलते इसे कई बार टालना पड़ा। अब भी खुद केंद्रीय वित्त सचिव हंसमुख अधिया आश्वत नहीं हैं कि व्यापारी, वितरक और ट्रक मालिक इसके लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत कारोबारियों और ट्रक परिचालकों को पहली अप्रैल से अंतर-राज्यीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में पचास हजार रुपए से अधिक का माल लाने और ले जाने के लिए सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से प्राप्त किया गया मार्ग-विपत्र (ई-वे बिल) साथ में रखना होगा। पहले यह व्यवस्था एक फरवरी से लागू की जानी थी। पर तब पहले रोज ही ई-वे बिल पोर्टल चरमरा गया था, और तब तक 4 लाख 80 हजार बिल बन पाए थे। इस अनुभव ने सरकार को तैयारियों पर नए सिरे से सोचने को विवश किया।

लिहाजा, पोर्टल की क्षमता आंकने के लिए कई परीक्षण किए गए। और अब सरकार का दावा है कि ई-वे बिल प्रणाली को पहले से दक्ष बनाया गया है और अब इससे बिना किसी मुश्किल के पचहत्तर लाख ई-वे बिल रोजाना निकाले जा सकते हैं। आपूर्तिकर्ता के लिए ई-वे बिल उन वस्तुओं की भी अंतरराज्यीय ढुलाई के लिए बनाना होगा, जो जीएसटी के तहत नहीं आती हैं। इस बिल में आपूर्तिकर्ता, ट्रांसपोर्ट और ग्राहक का ब्योरा होता है। माल की कीमत पचास हजार रुपए से ज्यादा होने पर आपूर्तिकर्ता को इसकी जानकारी जीएसटीएन पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। ई-वे बिल लागू होने से पहले सामान्य से ज्यादा माल ढुलाई कर से बचने की कोशिशों की ओर ही संकेत करती है। ऐसे में सामान्य से ज्यादा माल जमा हो जाने के कारण यह संभव है कि शुरू के कुछ दिनों में ई-वे बिल के जरिए कर संग्रह अपेक्षा से कम हो। लेकिन उम्मीद है कि कुछ दिन बाद गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ई-वे बिल व्यवस्था के ठीक से आकार लेने में अभी कम से कम एक पखवाड़ा लग सकता है।

एक अप्रैल से कुछ और भी वित्तीय बदलाव लागू हुए। मसलन, आय कर पर उप-कर की बढ़ोतरी लागू हो गई। स्वास्थ्य व शिक्षा उप-कर तीन से चार फीसद किया गया है। ढाई सौ करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियों पर कंपनी-कर घटा कर पच्चीस फीसद किया गया है। छोटे और मझोले उद्यमों के अलावा बचत के

एवं अन्य चिन्ताओं के चलते रियल एस्टेट क्षेत्र उपभोक्ता निवेश के लिहाज से प्रभावित ही रहा। साफ है कि भरोसेमंद निवेश साधनों की तलाश जारी है। हालांकि सरकार ने परिवारों की बचत का बड़ा हिस्सा औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने की पहल की है लेकिन पर्याप्त निवेश साधनों की कमी भी नजर आती है।

आंशिक रूप से इसका यही मतलब है कि विश्वसनीय योजनाओं का अभाव है। हालांकि ऋण वृद्धि और नया निवेश जुटाने के मामले में 2017-18 का प्रदर्शन 2016-17 से बेहतर रहा है लेकिन ऋण वृद्धि की हालत अब भी खस्ता है और नया निवेश काफी हद तक सरकारी व्यय से ही आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि बैंकिंग क्षेत्र में गड़बड़ी जारी रहने से ऋण वृद्धि पर लगाम लगती है। बहरहाल आर्थिक व्यवधानों का बुरा दौर बीत चुका है और एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की राह पर लौट आई है। लेकिन निजी निवेश को दोबारा आकर्षित करने के मामले में अब भी काफी अनिश्चितता का माहौल है। बाजार में अनिश्चितता का माहौल यही दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत मोटे तौर पर अनिश्चित है, अर्थव्यवस्था के संकेतक अलग दिशाओं की ओर इशारा कर रहे हैं और आर्थिक अस्थिरता के तमाम संभव कारण भी मौजूद हैं।

बारिश देखेगा आरबीआई (नवभारत टाइम्स)

नए वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति में ब्याज दरें घटने की उम्मीद तो नहीं थी, अलबत्ता सबका ध्यान इस तरफ जरूर था कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) आने वाले दिनों में ब्याज दरों की नरमी का कोई संकेत देती है या नहीं। पिछले कुछ दिनों में महंगाई की रफ्तार घटी है, और सबसे बड़ी बात यह कि चुनावी साल शुरू होने को है, लिहाजा कुछ घरेलू बैंकों की ओर से हाल में ब्याज दरें बढ़ा दिए जाने के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक से इस साल ब्याज दरों में कम से कम एक कटौती की उम्मीद तो की जा सकती है।

अफसोस कि ब्याज दरों में किसी भी बदलाव की घोषणा न करने वाले एमपीसी के इस वक्तव्य में घोल-मट्टा इतना ज्यादा है कि लाख कोशिशों के बावजूद वहाँ से ऐसा कोई संकेत खोज पाना लगभग असंभव है।

एक क्षीण सी उम्मीद जून में तो नहीं, अगस्त में चौथाई फीसदी कटौती की बांधी जा सकती है, बशर्ते मानसून अच्छा आए, चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर ज्यादा जोर न पकड़े, और कच्चे तेल की कीमतें अभी के स्तर से ऊपर न चढ़ें। दरअसल, संकेतों के मामले में अपनी मुट्ठी बंद रखना आरबीआई के लिए फिलहाल चाँडस का नहीं, मजबूरी का मामला है।

अमेरिका समेत दुनिया की लगभग हर अर्थव्यवस्था में पिछले कई महीनों से ब्याज दरें या तो बढ़ रही हैं, या बढ़ने का संकेत देती हुई अपनी जगह पर स्थिर हैं। देश के भीतर ही नजर फेरें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सारे बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, हालांकि ऐसा उन्हें किसी आर्थिक तर्क के बजाय बट्टा खाते में पड़े अपने कर्जों की भरपाई के लिए करना पड़ रहा है। सख्त होती ब्याज दरों के माहौल में भारतीय रिजर्व बैंक के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इस सीजन में अक्सर ऊंची हो जाने वाली मीट, मछली, अंडा, दलहन और सब्जियों की कीमतें काबू में बनी हुई हैं, और बाहर मांग कम होने की वजह से बाकी सामानों की महंगाई भी कुछ खास नहीं बढ़ी है। ऐसे में पॉपुलर खर्चों के मामले में सरकारें अगर अपना हाथ टाइट रखें तो चुनाव से पहले ब्याज दरें ऊपर नहीं चढ़ेंगी और किस्मत ठीक रही तो एक बार शायद थोड़ी नीचे भी आ जाएं।

भरोसे रहने वाले लोगों खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी राहत की एक पहल अमल में आ गई। अब पचास हजार रुपए तक का ब्याज कर-रहित होगा। अभी तक दस हजार रुपए तक के ब्याज पर कर नहीं लगता था। धारा 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर किए गए भुगतान व चिकित्सा व्यय पर कर कटौती की सीमा भी तीस हजार से पचास हजार रुपए कर दी गई है। राहत का एक और उपाय भी कल से लागू हो गया। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा रकम निकालने पर कर-छूट का लाभ अब उन लोगों को भी मिलेगा, जो अपना कारोबार करते हैं। उन्हें एनपीएस से पैसे निकालने पर चालीस फीसद हिस्से पर कर नहीं देना होगा।

खुशनुमा तस्वीर

जैसी कि उम्मीद की जा रही थी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने गुरुवार को अपनी नीतिगत दरों को स्थिर रखा। परंतु उसने मुद्रास्फीति और वृद्धि को लेकर सकारात्मक अनुमान जताए। यह फरवरी में पिछली नीतिगत समीक्षा तक जताए जा रहे नकारात्मक अनुमानों के ठीक विपरीत है। मुद्रास्फीति को लेकर जताए जा रहे अनुरूप अनुमानों के अलावा वृद्धि के मोर्चे पर भी उल्लासित करने वाला अनुमान सामने आया। कहा गया कि वर्ष 2018-19 में हमारा सकल घरेलू उत्पाद 7.4 फीसदी की दर से बढ़ सकता है। समिति ने कहा कि ऐसे कई कारक हैं जिनके चलते आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सकती है। ये दोनों वृहद आर्थिक कारक सरकार के लिए एक संपूर्ण तस्वीर पेश करते हैं। चुनावी साल में यह एक अहम बात है।

इस सकारात्मक रुझान ने बॉन्ड प्रतिफल पर असर डाला और उसमें तेज गिरावट देखने को मिली। 10 वर्ष के सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल नीतिगत घोषणा के ऐन पहले 7.28 फीसदी से गिरकर 7.16 फीसदी रह गया। अगस्त 2017 में 6.5 फीसदी के स्तर पर रहा यह बॉन्ड प्रतिफल मार्च में 7.7 फीसदी के स्तर पर पहुंच गया था। सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में उम्मीद से कम ऋण आवश्यकता जताने के बाद से इसमें कमी आ रही है। आरबीआई ने सोमवार को बैंकों को यह इजाजत देने का निर्णय किया था कि वे अपने मार्क टु मार्केट (एमटीएम) नुकसान का प्रसार होने दें। इस बात ने भी प्रतिफल पर नकारात्मक दबाव बनाया।

बैंकिंग क्षेत्र के शेरों को भी इसका उचित ही लाभ मिला। अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने भारतीय लेखा मानकों को अपनाने का काम टाल दिया है। माना जा रहा था कि ये मानक फंसे हुए कर्ज के निपटान, उनकी प्रोविजनिंग की प्रक्रिया को और अधिक सख्त कर देंगे। आरबीआई ने कहा कि इसके लिए जो विधायी संशोधन जरूरी हैं उन पर अभी सरकार विचार कर रही है और शायद कई बैंक अभी इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं।

बहरहाल, इस व्यापक खुशी के बीच अगर आरबीआई के मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वानुमान को देखें तो उसे लेकर कुछ चौकसी बरतने की आवश्यकता है। साल की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति के कमतर आकलन की वजह को आसानी से समझा जा सकता है। खाद्य मुद्रास्फीति खासतौर पर सब्जियों से जुड़ी महंगाई में एमपीसी की पिछली बैठक से अब तक 120 आधार अंकों की कमी आई है। यह मानने की पर्याप्त वजह है कि यह रुख अभी कुछ वक्त तक जारी रहेगा। परंतु दूसरी छमाही के लिए 4.4 फीसदी की जिस खुदरा महंगाई दर का अनुमान जताया गया है वह कई वजहों से संकट में पड़ सकता है। पहली बात तो यह कि अभी भी मूल मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. कर चोरी रोकने और कर संग्रह को डिजिटल रूप देने के इरादे से 'ई-वे बिल' का तरीका अपनाया गया है। इस संदर्भ में इसकी उपयोगिता की चर्चा करते हुए इससे संबंधित चिंताओं को स्पष्ट करें।

जहां तक खाद्य मुद्रास्फीति का सवाल है तो यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सरकार ने इस बात के तगड़े संकेत दिए हैं कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की मदद से कृषि क्षेत्र की आय बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो खाद्य मुद्रास्फीति पर इसका सीधा असर होगा। राजकोषीय मोर्चे पर फिसलन की चिंताएं पहले से ही मौजूद हैं। न केवल केंद्र सरकार बल्कि कई राज्य भी इस साल के अंत में चुनावों की तैयारी में जुट जाएंगे। कच्चे तेल की कीमतों, घरेलू कारकों और वैश्विक स्तर पर संभावित कारोबारी जंग से मांग पर असर पड़ सकता है और अनुमान गड़बड़ा सकते हैं। आरबीआई इससे अवगत होगा। यह बात गवर्नर ऊर्जित पटेल की बात से जाहिर भी होती है जिन्होंने कहा है कि कई अनिश्चितताएं नजर आ रही हैं। इसीलिए बैंक ने दरों में बदलाव नहीं किया।

GS World टीम...

मौद्रिक नीति

इस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। इसका उद्देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना है। मौद्रिक नीति ही यह तय करती है कि रिजर्व बैंक किस दर पर बैंकों को कर्ज देगा और किस दर पर उन बैंकों से वापस पैसा लेगा।

प्रक्रिया

- रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) मौद्रिक नीति निर्माण में गवर्नर की सहायता करता है। अर्थव्यवस्था के सभी शेर धारकों के विचारों, तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टीएसी) की सलाह और रिजर्व बैंक का विश्लेषणात्मक कार्य नीति रेपो दर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करता है।
- वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) मुख्य रूप से दैनिक चलनिधि प्रबंध परिचालनों के माध्यम से मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करता है।
- वित्तीय बाजार समिति (एफएमसी) नीति दर, मुद्रा बाजार दरों और चलनिधि परिस्थितियों के बीच अनुरूपता की समीक्षा करने के लिए दैनिक आधार पर बैठक करता है।

लक्ष्य:

- कम और स्थिर मुद्रास्फीति,
- वित्तीय स्थिरता और
- समावेशी विकास हासिल करना

पारदर्शिता:

मौद्रिक नीति में आघातों के बारे में अनुचित डर से बचने के लिए प्रभावी संप्रेषण पर जोर दिया जाता है। पारदर्शिता से मौद्रिक नीति की प्रभाव क्षमता बढ़ती है। रिजर्व बैंक अपने मौद्रिक नीति रूझान में इसके तर्क का पारदर्शी तरीके से वर्णन करता है। नीति निर्माण में परामर्शदात्री दृष्टिकोण पर जोर देता है और नीति परिचालन में स्वायत्तता रखता है। इसके अलावा, यह लक्ष्यों को समष्टि आर्थिक नीतियों के अन्य तत्वों के साथ मिला कर कार्य करता है।

मौद्रिक नीति समिति

- यह समिति खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत (2 प्रतिशत कम या ज्यादा) के लक्षित स्तर पर रखने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है।
- रिजर्व बैंक द्वारा नामित सदस्यों में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर तथा केंद्रीय बैंक के एक और सदस्य हैं।
- इसमें नीतिगत दर के बारे में निर्णय समिति करती है, जबकि इससे पहले इस संदर्भ में फैसला रिजर्व बैंक के गवर्नर किया करते थे।
- वित्त अधिनियम 2016 के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 में संशोधन करने के बाद एमपीसी का गठन किया गया है।
- यह समिति 27 जून, 2016 से प्रभावी है।
- एमपीसी सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति के लक्ष्य और उसे हासिल करने को ध्यान में रखकर नीतिगत दर स्थापित करने के बारे में फैसला करेगी।
- सरकार के साथ हुए समझौते के तहत रिजर्व बैंक खुदरा मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ 4 प्रतिशत पर बनाए रखने को प्रतिबद्ध है।
- एमपीसी नियमों के तहत प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और अगर मामला बराबरी पर आता है तो रिजर्व बैंक के गवर्नर निर्णायक वोट देंगे।
- समिति के सदस्यों की नियुक्ति चार साल के लिए होगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

क्यों पड़ी मौद्रिक नीति समिति की आवश्यकता

- ब्याज दरों को लेकर अक्सर सरकार और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच टकराव जैसे हालात का रहना।
- सरकार का जोर विकास पर रहा और रिजर्व बैंक का महंगाई को कम रखने पर। इसलिए बैंक हमेशा मौद्रिक नीति अपने हिसाब से बनाता रहा।
- अक्टूबर, 2012 में तत्कालीन गवर्नर डी सुब्बाराव और यूपीए सरकार में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बीच टकराव इस हद तक बढ़ गया था कि चिदंबरम ने कह दिया कि विकास भी महंगाई जितनी ही बड़ी चुनौती है और अगर सरकार को इस चुनौती से निपटने के रास्ते पर अकेले चलना है तो वह अकेले ही चलेगी।
- टकराव की इसी पृष्ठभूमि में एमपीसी का गठन हुआ था।

फेक न्यूज पर बहस

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में मीडिया में फेक न्यूज को लेकर मुद्दा चर्चा में रहा। एक तरफ तो टीवी पर्दे पर आते अतिरिजित प्रचार, जिसमें क्रीम से चुटकियों में कमर दर्द या मुहाँसे गायब होते हम रोज देख सकते हैं वहीं दूसरी तरफ मुनाफे के वास्ते या किसी की लोकप्रिय छवि बनाने अथवा बिगाड़ने के लिए मिथ्या प्रचार को समाचार का रूप दिया जा रहा है। जो कि बड़ी समस्या है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'प्रभात खबर', और 'अमर उजाला', में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

फेक न्यूज पर वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी का आलेख

पर्दे : झूठी खबरें तो रोकनी ही होंगी (प्रभात खबर)

टीवी के पर्दे पर किसी क्रीम से चुटकियों में कमर दर्द या मुहाँसे गायब होते हम रोज देखते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा वास्तव में नहीं होता। यह मिथ्या या कह लीजिये अतिरिजित प्रचार है, विज्ञापन है। लेकिन समाचारों पर हम भरोसा करते हैं। अगर समाचार असत्य हो, मुनाफे के वास्ते या किसी की लोकप्रिय छवि बनाने अथवा बिगाड़ने के लिए मिथ्या प्रचार को समाचार का रूप दिया जाये तो? जनता तो समाचार को सत्य ही मानती आयी है। इसलिए आज के समय में किसी भी उद्देश्य से हो, झूठ को समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है।

इसी कारण वर्तमान युग को 'उत्तर-सत्य' (पोस्ट-ट्रुथ) समय कहा जाने लगा है। यानी सत्य के रूप में जो पेश किया जा रहा है, वह अंतिम नहीं है। उसके बाद, उसके पीछे कुछ और सत्य है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने 'झूठी खबरें' देनेवाले पत्रकारों पर अंकुश लगाने की पहल करके इस मुद्दे को हवा दे दी। प्रस्ताव की जानकारी होते ही मीडिया जगत में हल्ला मच गया। इसे पत्रकारों पर बंदिश लगाने के मोदी सरकार के कदम के रूप में देखा गया।

मोदी सरकार वैसे ही मीडिया को येन-केन-प्रकारेण अपने पक्ष में करने के आरोपों से घिरी है। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इसकी तुलना राजीव गांधी के दौर में लाये गये अवमानना विधेयक और इंदिरा गांधी के आपाकाल से करते हुए व्यापक आंदोलन की अपील की। गनीमत हुई कि वैसे नौबत आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी की ओर से हुई पहल पर रोक लगा दी।

इससे 'चुनावी वर्ष में मीडिया को दबाने के प्रयास' से जनित आक्रोश तो शांत हो गया है, लेकिन 'फेक न्यूज' या झूठी खबरों का मामला गर्म बना हुआ है। यह मुद्दा आज पूरी दुनिया में जेरे बहस है। साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के उतरने और अंततः जीतने के बाद अमेरिकी राजनीति और पत्रकारिता आये दिन 'फेक न्यूज' के आरोप-प्रत्यारोपों से घिरे रहे। मीडिया ने ट्रंप के रोज झूठ बोलने की पोल खोली, तो ट्रंप 'फेक मीडिया' को झूठी खबरों के लिए लताड़ने से लेकर 'पुरस्कृत' करने की घोषणा तक कर गये।

प्रेस की आजादी और नियंत्रण (अमर उजाला)

यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार को एक बड़े बवाल से बचा लिया है। फेक न्यूज या गलत समाचार देने संबंधी जो मार्गनिर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया था, उसके विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया होनी निश्चित थी। न केवल पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग इसका पुरजोर विरोध करता, विपक्ष भी इसे सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाता। इसे पत्रकारों के काम करने की स्वतंत्रता पर अंकुश से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने वाला कदम साबित किया जाता। मोदी सरकार के सामने इस पर रक्षात्मक रुख अपनाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। 2019 के आम चुनाव के नजदीक आने के साथ वैसे ही विपक्ष मोदी सरकार के विरुद्ध पहले से ज्यादा आक्रामक है। अगर यह मार्गनिर्देश जारी रहता, तो इसे चुनाव में भी मुद्दा बनाया जा सकता था।

यह निहायत ही गलत और आपत्तिजनक कदम था और अव्यावहारिक तो खैर था ही। इस समय फेक न्यूज को लेकर जो वातावरण है, उसमें कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का निर्णय बिल्कुल सही था। अगर पत्रकार गलत समाचार फैलाता है, तो फिर उसे किसी तरह की सजा होनी चाहिए। अगर उसे भय नहीं होगा, तो वह गलत समाचार देने का अभ्यस्त हो जाएगा। प्रश्न इसके उपाय को लेकर है। क्या सरकार को इसे रोकने के लिए किसी तरह का कदम उठाना चाहिए? इसका उत्तर है, नहीं। इसका समाधान मीडिया के भीतर से ही निकलने दिया जाए। वैसे भी देश में इतने मीडिया संस्थान हैं कि अगर कहीं गलत समाचार आता है, तो उसके समानांतर सही समाचार भी आता है। सरकार पत्रकारिता को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए, यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। दुर्भाग्य से राजनीति की सहनशीलता धीरे-धीरे कम हो रही है। अपनी सामान्य आलोचना भी नेताओं के एक बड़े वर्ग को नागवार गुजरती है। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुकूल समाचार को सही तथा प्रतिकूल को गलत मानने के इस माहौल में इस मार्गनिर्देश के लागू होने के साथ दोनों संस्थानों के यहाँ शिकायतों की बाढ़ आ जाती।

कहा जा सकता है कि इसमें किसी बड़ी सजा का प्रावधान तो था नहीं। वैसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह कदम व्यावहारिक भी नहीं था। सूचना और प्रसारण मंत्री को यह पता होना चाहिए

भारत में साल 2012 से नरेंद्र मोदी के उभार के बाद से मिथ्या समाचारों का मामला ज्यादा बढ़ा और गर्म होता गया। मोदी सरकार, भाजपा और उसके कट्टर हिंदू संगठनों से लेकर मीडिया के बड़े वर्ग पर मोदी सरकार के पक्ष में झूठी खबरें देने तथा मिथ्या प्रचार से प्रधानमंत्री की छवि चमकाने के आरोप लगे। 'गोदी मीडिया' जैसा जुमला गढ़ा गया। विपक्ष की तरफ से उसी तर्ज पर जवाब देने की कोशिशें होती रही हैं।

'मिथ्या समाचार' क्या हैं, इस पर विवाद होते हैं। क्या वही खबरें झूठी हैं, जो बिना किसी आधार के किसी एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए गढ़ी गयी हों? क्या वे समाचार इस श्रेणी में नहीं आते जो तथ्यों को तोड़-मरोड़कर किसी के पक्ष में पेश किये जाते हैं? बिना तथ्यों की जांच किये, मामले की गहराई में गये बिना, सभी पक्षों को सुने बिना, एकांगी दृष्टि से लिखे गये और प्रायोजित समाचार क्या मिथ्या श्रेणी में नहीं आते?

पत्रकारिता का मूल मंत्र है निष्पक्ष होकर प्रत्येक कोण से समाचार की पड़ताल करना। सावधान रहना कि कोई भी गलत या अपुष्ट सूचना न जाने पाये। किसी सूचना पर संदेह हो और पुष्टि न हो पा रही हो, तो उसे छोड़ देना। ऐसे समाचारों से परहेज करना जो सत्य होने के बावजूद समाज को तोड़ने, अविश्वास फैलाने और फसाद खड़ा करने का कारण बनते हों। आज पत्रकारिता के ये मानदंड लगभग ध्वस्त हो गये हैं।

मिशन से धंधा बन गयी पत्रकारिता नैतिकता और सरोकारों से बहुत दूर चली गयी है। मीडिया घरानों के अपने स्वार्थों से लेकर राजनीतिक निष्ठाओं के लिए पत्रकारिता इस्तेमाल की जा रही है। कुछ वर्ष पहले तक बड़ा अपराध माने जानेवाले 'पेड न्यूज' आज स्वीकार्य जैसे हो गये हैं। धन लेकर कुछ भी प्रसारित करने की कई बड़े मीडिया घरानों की स्वीकारोक्ति वाले हाल के 'कोबरापोस्ट' स्टिंग ने इसीलिए बहुत सनसनी नहीं मचायी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने हद कर दी है। वहाँ 'फेक न्यूज' की बाकायदा फैक्ट्री चलती हैं। हर एक के हाथ में मोबाइल है और झूठे समाचार त्वरित गति से प्रसारित हो रहे हैं। वहाँ पत्रकार होने की जरूरत भी नहीं है। राजनीतिक दलों के आईटी सेल सही-गलत समाचार फैलाने में दिन रात लगे हैं। जनता के लिए यह समझना कठिन होता है कि क्या झूठ है और क्या सच। डिजिटल मीडिया पर प्रसारित होनेवाले झूठ की पोल खोलनेवाली कुछ साइटें भी सक्रिय हुई हैं।

उनका मानना है कि जिस गति से मिथ्या समाचार गढ़े और फैलाये जा रहे हैं, उस गति से उनका झूठ पकड़ना और जनता तक पहुंचाना संभव नहीं है। तथ्यों की पड़ताल में समय लगता है। झूठ फैलाने में कोई वक्त नहीं लगता।

समाधान क्या है? स्मृति ईरानी जो करने जा रही थीं, क्या उससे इसे रोका जा सकता है? पूरी आशंका है कि इस बहाने मीडिया पर सरकार अंकुश लगाती, मगर झूठ की फैक्ट्रियां कतई बंद नहीं होतीं। मीडिया संगठनों और विरोधी दलों ने इसीलिए इसका बड़ा विरोध किया।

हाल ही में राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने सरकारी अधिकारियों को बचाने के बहाने मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी। साल 2012 में कांग्रेस सांसद मीनाक्षी नटराजन ने राष्ट्रीय सुरक्षा की

कि देश में जिन्हें मान्यता प्राप्त पत्रकार कहते हैं, उनकी संख्या कुल पत्रकारों का 2-3 प्रतिशत भी शायद ही होगा। इसलिए इससे ज्यादा अंतर भी नहीं आ सकता था। पता नहीं, कैसे यह मान लिया गया कि मान्यता रद्द करने का भय गलत समाचार के लिए निषेधकारी भूमिका निभाएगा। इस समय वेब पोर्टलों की बाढ़ आ गई है। उसमें कितने मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं? वे सब खबर और विचार प्रकाशित-प्रसारित कर रहे हैं और मुख्य मीडिया भी उससे प्रभावित होता है। उनको आप किस तरह रोक सकते हैं? इसलिए इस तरह के उपाय का व्यापक प्रभाव होना भी नहीं था। इससे तो न खुदा ही मिला न विसाल-ए सनम न इधर के रहे न उधर के वाली स्थिति हो जाती।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को पत्रकारिता को किसी तरह नियंत्रित करने की जगह कुछ बेहतर बदलाव लाने का कदम उठाना चाहिए। मोदी सरकार के आने के बाद कुछ नया करने की उम्मीद थी। यानी वह पत्रकारों को मान्यता देने की व्यवस्था को खत्म कर दे। संस्थानों, पत्रकार संगठनों, प्रेस क्लबों आदि के परिचय पत्र पत्रकारों की पहचान के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

आड़ में मीडिया को नियंत्रित करने की मंशा से एक निजी विधेयक तैयार किया था। सन 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और 1982 में बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने भी प्रेस पर सरकारी नियंत्रण की कोशिश की थी। ये सभी प्रयास देश-व्यापी विरोध के बाद वापस लेने पड़े थे।

'फेक न्यूज' से लेकर अपुष्ट एवं एकपक्षीय समाचार पत्रकारिता के लिए तो धब्बा है ही, हमारे समाज की बहुलता और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसकी रक्षा के लिए जिस मीडिया की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, वही अब इसके लिए खतरा भी पैदा करने लगी है। मगर मीडिया पर बाहरी, खासकर सरकारी नियंत्रण के खतरनाक परिणाम होंगे। मीडिया को ही अपनी विश्वसनीयता के लिए आत्मनिरीक्षण और सतर्कता के उपाय करने होंगे।

पत्रकारिता को अपने पुराने मूल्य पुनः स्थापित करने होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालित करनेवालों को झूठे समाचार फैलाने का उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, ताकि वे सिर्फ धंधे पर ही ध्यान न दें, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म पर आनेवाली सामग्री पर भी नजर रखें और उन्हें रोकने के कुछ मानदंड बनायें।



डाटा चोरी और फेक न्यूज का मकड़जाल, भोला-भाला सोशल मीडिया यूजर आज बी अनजान (दैनिक जागरण)

आज जहां तथ्य और गल्प एक ही घाट पर पानी पीते हैं वहीं आपकी जानकारी के बिना ही आपका डाटा चोरी होता रहता है

आम सोशल मीडिया यूजर भोला-भाला और भरोसा करने वाला शख्स है। उसे पता ही नहीं कि वाट्सएप, फेसबुक, यू-ट्यूब और अन्य वेबसाइटों पर वह जो कुछ देख रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा झूठ पर आधारित है। वह जिन सनसनीखेज खबरों को लाइक और शेयर कर रहा है वे पूरी तरह झूठ हो सकती हैं। दूसरी तरफ जो अच्छे-अच्छे संदेश उसे सिलसिलेवार ढंग से मिल रहे हैं वे किसी दल या कंपनी को सेवाएं देने वाली एजेंसी की तरफ से भेजे जा रहे हैं। वह इन संदेशों को सुबूत के तौर पर पेश करता है, बिना यह जाने कि सोशल मीडिया से आए ये तथ्य और सुबूत पूरी तरह जाली हो सकते हैं। आज सोशल मीडिया के इस दौर में तथ्य और गल्प एक ही घाट पर पानी पीते हैं। इसे सोशल मीडिया का दूसरा अवतार कह सकते हैं जिसे तकनीकी भाषा में सोशल मीडिया 2.0 कहा जा सकता है। यहां बहुत कुछ बनावटी है। फिर भले ही वह फोटोशॉप के जरिये संपादित किए गए चित्र हों या फिर एकदम असली दिखने वाली शत-प्रतिशत नकली खबरें। यहां नकली मसाले मिनटों में तैयार कर लिए जाते हैं। यह अपरिमित आकार वाला ऐसा उद्योग है जिसके फोकस में केवल आप हैं, मगर आपको ही यह पता नहीं।

सोशल मीडिया 1.0 यानी उसकी पहली दस्तक जनता की शक्ति के बारे में थी। उसे करीब लाने और एकजुट करने के बारे में। संबंधों को पुनर्जीवित करने, विश्वास कायम करने और सामुदायिक संस्कृति पैदा करने के बारे में थी। इसने दुनिया भर में क्रांतियों में सूत्रधार की भूमिका निभाकर नए राजनीतिक ढांचे को जन्म दिया। नए नायक सामने आए। परंपरा ने नवीनता के लिए जगह बनाई और दूरदराज तक सूचनाओं का विस्तार हुआ। इस बीच कई अप्रिय पहलू भी सामने आए, लेकिन काफी हद तक हमने उनसे निपटना सीख लिया। अब आता है सोशल मीडिया 2.0 जिसमें ऐसा सब कुछ जायज हो गया जो आपके हितों को पूरा करता हो।

कैंब्रिज एनालिटिका ने पांच करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा अनधिकृत रूप से इस्तेमाल किया

हाल में हमने इसका एक नमूना देखा जब यह खुलासा हुआ कि कैंब्रिज एनालिटिका नामक ब्रिटिश फर्म ने पांच करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा अनधिकृत रूप से इस्तेमाल कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत में बड़ी भूमिका निभाई। यूजर्स को पता ही नहीं था कि उनके मित्र किसी ऐसे एप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी अपनी जानकारियां भी इकट्ठा करने और उन्हें किसी तीसरे पक्ष को पहुंचाने में जुटा है। कैंब्रिज एनालिटिका कोई पहली ऐसी एजेंसी नहीं है और अमेरिकी चुनाव ऐसी कोई पहली घटना नहीं जहां हमारे-आपके डाटा का दुरुपयोग किया गया हो। ऐसे तमाम वाक्ये होते रहे हैं। फर्क यह है कि हमारे सामने यह अब आया है। फिर डाटा का विश्लेषण करके लोगों तक कस्टमाइज्ड प्रचार सामग्री भेजना कोई अकेली चीज नहीं है जो मानस को बदलकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है।

इंटरनेट हमारे दिमाग को कुंद करने में लगा है

तकनीकी लेखक और विचारक निकोलस कार ने अपनी किताब 'द शैलोज' में लिखा था कि इंटरनेट हमारे दिमाग को कुंद करने में लगा है और हम अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करने लगे हैं, क्योंकि हर सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है यानी तार्किक विश्लेषण करने की हमारी क्षमता भी घट रही है और हम चीजों पर आसानी से विश्वास भी करने लगे हैं। जब किसी सुनियोजित अभियान के तहत एक के बाद एक फेक न्यूज हमें भेजी जाती है तो एकाध बार अनदेखा करने के बाद आखिरकार हम उन्हें सच मानने ही लगते हैं और दूसरों को भी फॉरवर्ड कर इस अभियान को सफल बनाते हैं। जो समाचार वेबसाइटें हमें एकदम असली और प्रामाणिक दिखाई देती हैं वे झूठ और दुष्प्रचार के मकसद से डिजाइन की गई हो सकती हैं। वहां दर्जनों की संख्या में रोजाना डाली जाने वाली सनसनीखेज खबरें तैयार करने के लिए फर्जी खबर लेखकों की पूरी फौज तैनात होगी।

फर्जी-खबरों पर आधारित साइटों ने जगह बना रखी है

हाल में खबर थी कि यू-ट्यूब पर कुछ लाख या करोड़ व्यूज पाने वाला आपका मनपसंद वीडियो पूरी तरह से फर्जी हो सकता है। यह बात सभी सोशल माध्यमों के लिए सच है। मुजफ्फरनगर के दंगों के दौरान लोगों को जिंदा जला दिए जाने के जो वीडियो वायरल हुए थे उनकी हकीकत आप जानते ही हैं कि वह बर्मा से आया था। बजफीड की तरफ से फेसबुक के छह बड़े पक्षपातपूर्ण पेजों की एक हजार पोस्ट का सर्वे किया गया तो पता चला कि जिन पेजों पर सच्ची खबरों का अनुपात सबसे कम था उन्हें सबसे ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट प्राप्त हुए थे। इन पेजों पर 38 फीसदी खबरें या तो सच और झूठ का मिश्रण थीं या फिर पूरी तरह झूठ थीं। भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय दस, पचास या सौ वेबसाइटों पर एक नजर डालिए। पाएंगे कि यहां भी फर्जी-खबरों पर आधारित साइटों ने जगह बना रखी है। ऐसी वेबसाइटों पर रोक लगाने के लिए कोई कानून नहीं है। हालांकि ऐसा कानून बनेगा, इसकी खबर जरूर गाहे-बगाहे आती रहती है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब सभी दल बेचारे वोटर को बरगलाने के लिए इन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन पर रोक कोई क्यों और कैसे लगाएगा? क्या आप मानेंगे कि जिन तमाम बड़े नेताओं के करोड़ों ट्विटर फॉलोअरों की संख्या आपको हैरानी में डाल देती है उनमें से ज्यादातर के फर्जी फॉलोअर हैं? ऐसी समीक्षाएं जिन्हें लिखने के लिए भुगतान किया जाता है, आम हैं।

आपका अधिकांश डाटा किसी विभाग, कंपनी, दल या एजेंसी की पहुंच में हो सकता है

ऐसी ऊंची रेटिंग जो आपको कोई एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करती है वह फर्जी हो सकती है। गूगल सर्च में किसी वेबसाइट का सबसे ऊपर आना तकनीकी चातुर्य का खेल हो सकता है। सोशल मीडिया साइटों और ईमेल पर भले ही आप कितने भी मजबूत पासवर्ड लगा दें, आपका अधिकांश डाटा किसी विभाग, कंपनी, दल या एजेंसी की पहुंच में हो सकता है। निजता की हम जितनी भी बात कर लें वह तमाम दिशाओं से संकट में है- चाहे वे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हों, साइबर अपराधी हों, राजनीतिक दल हों, एप बनाने वाले लोग हों या फिर खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाले संस्थान। बहुत बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया पर अपने आपको, अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को और अपनी निजता को सुरक्षित रखना। सोशल मीडिया पर इस या उसके हाथों नाहक प्रभावित या इस्तेमाल हो जाना बहुत आसान है। समझिए कि अगर कोई सेवा मुफ्त मिल रही है तो आप ही उसका उत्पाद हैं।

क्या है मामला?

- फेक न्यूज को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से जारी गाइडलाइन और उसके तुरंत बाद पीएम मोदी द्वारा फैसले को वापस लेने के आदेश से राजनीति गरमा गई है।

फेक न्यूज है क्या?

- फेक न्यूज वह 'न्यूज' है जो यह जानते हुए बनाई जाती है कि यह सच नहीं है। किसी गलत रिपोर्टिंग की स्थिति में अखबार या मीडिया संस्थान उसे सही करते हैं या उसके लिए खेद प्रकट करते हैं लेकिन फेक न्यूज में ऐसा नहीं होता। फेक न्यूज संयोगवश या त्रुटिवश नहीं बनाई जाती बल्कि यह जानबूझकर की गई गलती है। यह नितांत झूठ होती है और इसका मकसद गुमराह करना होता है।

कौन इसकी पुष्टि करता कि न्यूज फेक है?

- प्रिंट मीडिया के खिलाफ शिकायत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के पास भेजी जाती।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ शिकायत न्यूज एंड ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) को भेजी जाती।
- दोनों एजेंसियां 15 दिन में जांच करके न्यूज के फेक या सही होने का फैसला करतीं।
- जांच के दौरान संबंधित पत्रकार की मान्यता निलंबित रहती।

कानून का दायरा

- भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 295 के तहत झूठी खबरों से पीड़ित व्यक्ति झूठी खबर फैलाने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।
- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन** : यह निजी टेलीविजन समाचारों और हालिया घटनाओं के प्रसारण पर नजर रखता है।
- इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन** : 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। यहां 24 x 7 चलने वाले चैनलों की सामग्री के बारे में शिकायत की जा सकती है।
- ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंफ्लेंट काउंसिल** : टीवी पर आपत्तिजनक प्रसारण या किसी झूठी खबर के बारे में यहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया** : 1978 के प्रेस काउंसिल एक्ट के तहत यह संस्था किसी समाचार पत्र, किसी समाचार एजेंसी, संपादक, पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

विदेश में प्रावधान

- सिंगापुर** : जानबूझकर ऑनलाइन माध्यमों पर गलत खबर फैलाए जाने को रोकने के लिए संसदीय समिति उपाय ढूंढ रही है। इस समिति ने सिंगापुर के इतिहास की सबसे लंबी आठ दिनी सुनवाई की है। यह समिति मई में नए कानून के निर्माण के संबंध में रिपोर्ट पेश करेगी।
- मलेशिया** : झूठी खबरें फैलाने वालों पर 1.70 लाख डॉलर जुर्माना और अधिकतम छह वर्ष कारावास हो सकता है। अगर झूठी खबर से मलेशियाई नागरिक प्रभावित हो रहा है तो ऐसी खबर उड़ाने वाले विदेशी नागरिक को भी सजा दी जा सकती है।
- फिलीपींस** : राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते ने साफ तौर पर यहां की न्यूज साइट रैपलर को झूठा करार किया है और आधिकारिक आयोजनों की रिपोर्टिंग करने से रोक दिया है। यहां नया कानून बनाया जा रहा है जिसमें गलत खबरें फैलाने पर जुर्माना लगाने के साथ 20 वर्ष तक जेल की सजा का प्रावधान होगा।
- थाइलैंड** : यहां साइबर सिविलिटी कानून के तहत झूठी खबर फैलाने वाले व्यक्ति या मीडिया संस्थानों को सात वर्ष तक की जेल हो सकती है। यहां की सेना ऐसे कानूनों का सख्ती से पालन करती है जिससे शाही परिवार का कोई अपमान न कर सके।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। उपर्युक्त कथन के परिपेक्ष्य में मीडिया की भूमिका एवं वर्तमान में इसके समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करें।

एक कदम पीछे

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। मत समिति सरकार के उन स्वागतयोग्य प्रयासों का हिस्सा है जिनकी मदद से वह आईबीसी में सुधार लाना चाहती है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

नए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है और अब वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यह समिति सरकार के उन स्वागतयोग्य प्रयासों का हिस्सा है जिनकी मदद से वह आईबीसी में सुधार लाना चाहती है। किसी संकटग्रस्त परिसंपत्ति का ऋणदाताओं, मालिकों, अंशधारकों आदि के लिहाज से उचित निस्तारण करने का काम लंबे समय से लंबित था। इसलिए सरकार को यह श्रेय मिलना चाहिए कि वह लगातार आईबीसी के प्रदर्शन में सुधार का प्रयास कर रही है। यहाँ मूल मुद्दा यह है कि किसी संकटग्रस्त परिसंपत्ति का उचित और किफायती मूल्य कैसे तय हो? आखिर किन बातों के अधीन उसके मौजूदा मालिकों के लिए सबसे बेहतर प्रोत्साहन ढांचा तैयार हो? यह तय करना जरूरी है कि मालिक, कंपनी के आईबीसी तक पहुंचने के पहले उसे बचाने का हरसंभव प्रयास कर चुके हैं कि नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो दिवालिया होने को ऋण चुकाने की जरूरत से बचने का आसान तरीका नहीं मान लेना चाहिए। उचित मूल्य निर्धारण के लिए बड़ी तादाद में बोलीकर्ताओं का होना जरूरी है। यहाँ भी यह संतुलन कायम करना होगा कि ढेर सारे बोलीकर्ताओं के बीच कंपनी के पुराने प्रवर्तक किसी भी तरह आईबीसी का इस्तेमाल परिसंपत्ति पर दोबारा सस्ते में नियंत्रण हासिल करने में नहीं कर सकें। इन जरूरतों में भी संतुलन कायम करना होगा। यह व्यापक अर्थव्यवस्था और अन्य अंशधारकों के हित में होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ऊंचा मूल्य हमेशा बेहतर नहीं होता।

समिति ने इन तमाम बाधाओं को लेकर आशावादी रुख रखते हुए अनुशांसाएं की हैं। उदाहरण के लिए एक अनुशांसा यह है कि किसी परिसंपत्ति की नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने से प्रतिबंधित संस्थाओं की सूची में कटौती की जानी चाहिए। उसने यह सुझाव भी दिया है कि केवल उन बोलीकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाया जाए जो चुनिंदा गड़बड़ियों में से कोई एक कर चुके हों। इनका निर्धारण भी बाद में होना है। इससे उन नियमों को लेकर कुछ स्पष्टता आएगी जो चुनिंदा लोगों को बोली प्रक्रिया से रोकते हैं। हालांकि काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनके अपराध की प्रकृति क्या है। देनदारी में चूक भी ऐसा ही अपराध होगा। हालांकि इस सूची को बहुत विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उससे मूल्य निर्धारण पर असर होगा। अन्य अनुशांसाओं में उन वित्तीय कंपनियों को आईबीसी के तहत प्रासंगिक अयोग्यता से रियायत देने की बात शामिल है जिनका परिचालन का तरीका अलग है। पैनल का एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि छोटे और मझोले उद्यमों पर बोली लगाने की प्रक्रिया में सबसे दुष्कर प्रतिबंध हैं।

बहरहाल, सरकार को एक खास अनुशांसा को लागू करने से बचना चाहिए क्योंकि उसे लागू करने से समिति के तमाम अन्य अच्छे कामों पर पानी फिर सकता है। किसी संकटग्रस्त परिसंपत्ति के निपटान के मामले में अदालत के बाहर निपटारे के सुझाव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर उन लोगों को परिसंपत्ति का अधिकार मिल जाता है जो बोली की प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हुए तो यह आईबीसी की पूरी प्रक्रिया को ही क्षति पहुंचाने वाली बात होगी, भले ही उससे कितना ही बेहतर मूल्य क्यों नहीं सामने आया हो। बोलीकर्ताओं के लिए औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद विक्रेता के साथ निजी निपटारे की प्रक्रिया में शामिल होना भी ठीक नहीं है। बल्कि इनके स्थान पर एक सुधार की आवश्यकता है। यह सुधार बोली लगाने की प्रक्रिया को नियम आधारित बनाकर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बोली के बदले बोली लगाने के लिए तयशुदा अवधि घोषित की जा सकती है। ऐसा करने से किसी परिसंपत्ति के लिए अधिकतम खरीदार सामने आएंगे और मूल्य निर्धारण व्यवस्था भी अक्षुण्ण बनी रहेगी।

'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016'

- विदित हो कि विगत वर्ष केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दिवालियापन संहिता संबंधी विधेयक पारित किया था जिसे 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' के नाम से जाना जाता है।
- गौरतलब है कि यह नया कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट' 1920 को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूरिटीजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दिवालिया हो सकती है। यदि कोई आर्थिक इकाई दिवालिया होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्ति या फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है। देश में अभी तक दिवालियापन से संबंधित कम-से-कम 12 कानून थे जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।
- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक से प्रोत्साहित होकर भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2019 के मार्च तक लगभग 8 लाख करोड़ के खराब ऋणों के लिये प्रस्ताव लाने की अपेक्षा रखता है।
- इसके द्वारा गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में कमी आएगी तथा बैंकों की वित्तीय अवस्था में सुधार होगा।

प्रमुख बिंदु

- दरअसल, गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या का समाधान वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में ही करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है।
- यद्यपि सम्पूर्ण एनपीए समस्या को दिवाला और दिवालियापन संहिता प्रस्ताव प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जा सकता है परन्तु यह देखना भी आवश्यक होगा कि वे बैंकों की बैलेंस शीटों से कितनी जल्दी दूर किये जाते हैं।
- गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ बैंकों (मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक बड़ा अवरोध हैं।
- उदाहरण के लिये, वर्ष 2016-17 में 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1.5 लाख करोड़ का परिचालन लाभ हुआ था परन्तु खराब ऋणों के प्रावधानीकरण के लिये मंजूरी देने के पश्चात इनका कुल परिचालन लाभ घटकर 574 करोड़ रूपए हो गया।
- यदि बैंकों की बैलेंस शीट में अधिक विचलन देखने को मिला तो इसका यह तात्पर्य होगा कि बैंकों में नए कॉर्पोरेटों को ऋण देने की क्षमता नहीं है जो कि निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है।
- यह ध्यान देने योग्य है कि मार्च 2017 में समाप्त होने वाली 16 माह की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा से गैर-निष्पादनकारी संपत्तियों का पता चल चुका था और इसके बाद इस समस्या का समाधान करना भी आवश्यक हो गया था।

गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ?

- गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसे ऋण से है जिसका लौटना संदिग्ध हो।
- बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण देता है वह उसे अपने खाते में संपत्ति के रूप में दर्ज करता है परन्तु यदि किसी कारणवश बैंक को यह आशंका होती है कि ग्राहक यह ऋण नहीं लौटा पाएगा तो ऐसी संपत्ति को ही गैर-निष्पादनकारी संपत्तियाँ कहा जाता है।
- यह किसी भी बैंक की वित्तीय अवस्था को मापने का पैमाना है। यदि इसमें वृद्धि होती है तो यह बैंक के लिये चिंता का विषय बन जाता है।

नरसिम्हन समिति

- भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक संकट के उपरान्त बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के दृष्टिकोण से जून 1991 में एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में नरसिंहम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना की गई। जिसने अपनी संस्तुतियाँ दिसंबर, 1991 में प्रस्तुत की। नरसिंहम समिति-2 स्थापना 1998 में हुई थी।

बैंकिंग-वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु प्रमुख समितियाँ

- | | |
|---------------------|--|
| • नरसिम्हन समिति | : बैंकिंग सुधार |
| • चेलैया समिति | : कर सुधार |
| • रंगराजन समिति | : भुगतान संतुलन |
| • जानकीरमन समिति | : प्रतिभूति घोटाला |
| • स्वामीनाथन समिति | : जनसंख्या नीति |
| • महालनोबिस समिति | : राष्ट्रीय आय |
| • मल्होत्रा समिति | : बीमा सुधार |
| • भंडारी समिति | : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुधार |
| • सच्चर समिति | : मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन |
| • खुसरो समिति | : कृषि साख |
| • दामोदरन समिति | : बैंकिंग सेवाओं में सुधार |
| • गोपीनाथ समिति | : राष्ट्रीय लघु बचत कोष |
| • नाचिकेत मोर समिति | : वित्तीय समावेशन |

संभावित प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में नए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) ने उन बोलीकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाया है जो पूर्व में उसी कम्पनी के निदेशक बोर्ड में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। यह सकारात्मक पहल कहां तक कारगर सिद्ध होगा इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

स्वस्थ भारत का बीजारोपण

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना यानी आयुष्मान भारत की घोषणा की गई है। इस समय उसके लाभार्थियों की संख्या करीब 10 करोड़ परिवार है। यह लगभग 25% आबादी के बराबर है, जो सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना से लाभान्वित होगी। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'अमर उजाला' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

इस सरकार के पिछले बजट में जिस राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना यानी आयुष्मान भारत या मेडिकेयर की घोषणा की गई है, उसके लाभार्थियों की संख्या करीब दस करोड़ परिवार हैं। यह लगभग 25 फीसदी आबादी के बराबर है, जो सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना से लाभान्वित होगी। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने एक बयान में कहा, इस पहल को मजबूती देते हुए आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन के प्रारंभ में 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह योजना भविष्य में एक स्वस्थ भारत का बीजारोपण करेगी।

अब जरा स्वास्थ्य सेवा से संबंधित उपलब्ध कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो इस योजना की परिवर्तनकारी शक्ति को समझने में मददगार होंगे। इस समय लगभग हर घंटे पांच वर्ष से कम उम्र के करीब 130 बच्चे मर जाते हैं या करीब तीन लाख बच्चे हर साल निमोनिया या डायरिया से मर जाते हैं। ऐसे भयावह आंकड़ों का प्रमुख कारण गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की कमी है, भले ही इस समय इलाज के खर्च में कमी की गई हो।

देश के 130 करोड़ नागरिकों के इलाज के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या बहुत कम यानी 1015 लाख से भी कम है। इसका मतलब है कि प्रति 1,600 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर है। हैरानी की बात नहीं कि जो लोग महंगे इलाज का खर्च उठा सकते हैं, वे तुरंत विदेश चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर या दागी हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के मामले को ले सकते हैं, जो खराब स्वास्थ्य के कारण अमेरिका में है। लेकिन यह योजना उन लोगों के लिए है, जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। हमारे पास लगभग 14,400 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें 613 लाख बिस्तर हैं, उनमें से 11,054 अस्पताल और 2109 लाख बिस्तर ग्रामीण इलाकों में हैं।

सीधे शब्दों में कहें, तो इस स्वास्थ्य सेवा योजना के लिए हमारे पास जरूरी जनशक्ति या संसाधन नहीं हैं, भले दस करोड़ परिवारों को इस बीमा योजना के जरिये पैसा मुहैया कराया जाए। 25,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 5,624 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचएस) भले ही सुनने में बहुत ज्यादा लगे, लेकिन अगर कोई पीएचसी में डॉक्टरों के मंजूर पद और रिक्तियों की पड़ताल करे, तो उसे यह जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टरों के मंजूर 33,968 पदों में से 25 फीसदी पद खाली हैं। इसी तरह सीएचएस के लिए 11,910 पद मंजूर हैं, जिनमें से मात्र चार हजार पदों पर लोग काम कर रहे हैं। इनमें तकनीशियन, नर्सिंग एवं सहायक स्टाफ शामिल नहीं हैं, जिनकी जरूरत मौजूदा उपलब्ध बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए है और जिन्हें भरने की जरूरत है।

इसके साथ जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए कई राज्यों की अपनी स्वास्थ्य सेवा योजनाएं हैं। जैसे, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो एक हजार से अधिक तरह की चिकित्सा प्रक्रिया के लिए प्रति परिवार एक लाख रुपये का कवरेज प्रदान करती है, इसमें कुछ ओपीडी जैसी चिकित्सा प्रक्रिया भी शामिल है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर वैद्य सेवा और आरोग्य रक्षा है, तो महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फूले जीवनदायी आरोग्य योजना है, जो एक हजार प्रकार की सर्जरी के लिए 1.5 लाख रुपये का कवरेज देती है।

इन राज्य स्तरीय योजनाओं में से कुछ सफल हैं, तो कुछ इस दिशा में कार्यशील हैं, ऐसे में आयुष्मान भारत योजना को सफल बनाना मुश्किल है। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पहले ही इस योजना या इसकी संरचना में शामिल होने के प्रति अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं, क्योंकि राज्यों से इस योजना के लिए भुगतान की अपेक्षा की गई थी। कुछ राज्य इसके वितरण की लागत पर भी सवाल उठा सकते हैं, जो अभी उभरने वाला है। लागत को लेकर उनकी आपत्ति का कारण यह है कि उन्होंने वर्षों तक कम लागत में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जारी रखी है। इसका मतलब है कि आयुष्मान भारत के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के वितरण की राष्ट्रीय औसत लागत उनके लिए महंगी हो सकती है।

अगर हम व्यापक पैमाने पर वैश्विक अनुभव को देखें, तो ब्रिटेन का एनएचएस (नेशनल हेल्थ सर्विस) शीर्ष पर है। ब्रिटेन में यह स्वास्थ्य योजना कई वर्षों तक सफल रही है, हालांकि अब यह योजना संकटग्रस्त है। भारत की तुलना में सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे अपेक्षाकृत छोटे देशों का परिणाम मिला-जुला है। हमारे यहाँ कई राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है। हालांकि कुछ राज्यों ने इसे लागू करने से इन्कार कर दिया, तो कुछ ने अपने हाथ खींच लिए, जिसकी वजह लागत और बाद के वर्षों में बजट में कटौती थी।

स्वास्थ्य बीमा के निजीकरण के शुरुआती वर्षों में वास्तव में स्वास्थ्य सेवा की औसत लागत में वृद्धि हुई है। एक ऐसी स्थिति भी आई, जब स्वास्थ्य बीमा के दावों का निपटारा करने की तुलना में उन्हें खारिज अधिक किया गया। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद स्वास्थ्य बीमा के काम करने का ढंग बदल गया, क्लेम करने की पूरी जिम्मेदारी अब इसी के पास है। कुछ अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि अस्पताल-टीपीए-बीमाकर्ता की मिलीभगत से स्वास्थ्य सेवा का खर्च बढ़ गया। हमने यह भी देखा है कि बीमा वाले मरीजों की तुलना में बिना बीमा वाले मरीजों को कम भुगतान करना पड़ता है।

आयुष्मान भारत की परिकल्पना एक बढ़िया विचार है। लेकिन इसे लागू करने की लागत और क्षमता फिलहाल नहीं है। क्षमता निर्माण के लिए सरकार को तीन से पांच वर्षों का एजेंडा बनाना चाहिए, जिसमें राज्य सरकारें भी भूमिका निभा सकती हैं। जहां जरूरत हो, वहाँ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सांसद निधि का उपयोग किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांसद और विधायक भारतीय अस्पतालों पर भरोसा करें और विदेशों में इलाज कराने के बजाय इन्हीं सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएं।

GS World टीम...

मोदीकेयर क्या है?

'मोदीकेयर' के रूप में चर्चित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत कुल आबादी के 40 प्रतिशत यानी 10 करोड़ परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आने पर पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा बीमा सुरक्षा दी जाएगी।

किन्हें कवर किया जाएगा?

- 2011 के सोशियो-इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सस में 'वंचित' के तौर पर वर्गीकृत 10 करोड़ परिवार। प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवरेज।
- एक बार जब योजना लॉन्च हो जाएगी तो ये परिवार खुद-ब-खुद इसके दायरे में आ जाएंगे। परिवार के आकार पर कोई सीमा नहीं है, यानी परिवार में चाहे जितने सदस्य हों, सबको कवरेज मिलेगा।

स्कीम को लागू करने की टाइमलाइन

- मार्च तक स्कीम को मंजूरी
- मार्च तक इससे जुड़े स्टेकहोल्डर्स स्कीम को लेकर मंथन करेंगे।
- अप्रैल में इससे जुड़े डेटा को तैयार किया जाएगा तो जून तक आईटी सिस्टम की तैयारी हो जाएगी।
- जून में ही स्कीम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
- जुलाई तक इसके लिए राज्य अपनी तैयारियां कर लेंगे और उसी महीने इसके लिए टेंडर निकाला जा सकता है।
- इस योजना की शुरुआत इस साल 2 अक्टूबर से होगी।

व्याप्त चिंताएं

- दो साल पहले घोषित एक लाख रुपये के कवरेज का फायदा अब तक किसी को नहीं मिला।
- पांच लाख रुपये के बीमा कवरेज के लिए 12000 रुपये की किस्त।
- बीमा योजनाओं का फायदा मरीज से अधिक बीमा कंपनियों को।
- सरकार 50 करोड़ लोगों को पांच साल सालाना हेल्थ बीमा का सब्जबाग दिखा रही है। 30 हजार रुपये की बीमा योजना के लिए सरकार को 750 रुपये प्रीमियम देना होता है और इस हिसाब से पांच लाख रुपये बीमा कवरेज के लिए 12000 रुपये की किस्त जमा करनी होगी।
- जानकारों के मुताबिक इतना बीमा देने के लिए सरकार को हर साल कुल सवा लाख करोड़ रुपये का प्रीमियम देना होगा जो केंद्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित हेल्थ बजट से अधिक है।
- नेशनल हेल्थ मिशन जो कि केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत बच्चों और महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य सेवा भी मुहैया कराई जाती है। उसमें 770 करोड़ की कटौती हुई है।

- इससे बच्चों और माताओं की मृत्यु दर बढ़ने का डर है, दूसरी ओर सरकार ने जो सरकारी बीमा योजना के विस्तार का ऐलान किया है उसका प्रीमियम ही अगर देखें तो केंद्र सरकार के पिछले साल के कुल स्वास्थ्य बजट का तीन गुना बनता है।
- सरकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के वक्त प्रचलित हुई 'ओबामा केयर' की तरह 'मोदी केयर' शुरू करना चाहती है लेकिन सरकार के मौजूदा आंकड़े को सही भी मानें तो अभी देश की 25 प्रतिशत आबादी ही आज सरकारी बीमा कवरेज में है।

ओबामाकेयर क्या है?

अमेरिकी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मकसद से बाराक ओबामा ने जो हेल्थकेयर प्लान शुरू किया, उसे ही ओबामाकेयर के नाम से जाना जाता है। इसका आधिकारिक नाम द पेशेंट प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेबल केयर एक्ट (पीपीएसीए) है और 23 मार्च, 2010 को इस बारे में कानून बना था।

- इस कानून का मकसद अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस की क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना और स्वास्थ्य मामलों पर लोगों द्वारा खर्च की जानेवाली रकम को कम करना है। क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी को तरजीह देकर ऐसा किए जाने की योजना है।
- इस कानून के तहत जिन लोगों के पास इंश्योरेंस कवर नहीं है, वह ओबामाकेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओबामाकेयर इंश्योरेंस के तहत चार कैटेगरी है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। हालांकि, इनमें से हर कैटेगरी के तहत इंश्योरेंस लेने वालों को बेसिक सुविधाएं मिलती हैं जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा, इमरजेंसी केयर, एंबुलेंस की सेवा, मैटरनिटी केयर आदि खास हैं।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत 'आयुष्मान भारत' की परिकल्पना एक अच्छा विचार है, किन्तु साथ ही साथ इसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। चर्चा कीजिए।

भारत एवं नेपाल संबंध

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

नेपाल के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जब के.पी. शर्मा ओली का भारत आने का कार्यक्रम बना तो वैसा उत्साह नहीं था जैसा आमतौर पर नेपाल के नेताओं के आगमन को लेकर होता था। इससे स्पष्ट होता है कि चीन के वर्चस्व ने वैश्विक मामलों को प्रभावित किया है, लेकिन भारत के निकट पड़ोसियों पर उसका जितना प्रभाव पड़ा है, उतना ओ कहीं नहीं। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'राष्ट्रीय सहारा', 'अमर उजाला', 'प्रभरत खबर' एवं 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

किस मुकाम पर रिश्ते! (राष्ट्रीय सहारा)

नेपाल के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जब के. पी. शर्मा ओली का भारत आने का कार्यक्रम बना तो वैसा उत्साह नहीं था जैसा आम तौर पर नेपाल के नेताओं के आगमन को लेकर होता था। शुष्क कूटनीतिक संबंधों के परे भारत-नेपाल के संबंधों में विशेष किस्म का भाईचारा रहा है। जितनी संवेदनशीलता नेपाल को लेकर भारत में रही है, उतनी शायद ही किसी देश के प्रति रही हो। किंतु ओली जब पिछली बार प्रधानमंत्री बने थे भारत के साथ संबंध काफी खराब दौर में पहुंच गए थे। मधेसियों और जनजातियों ने अपने साथ अन्याय के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़ा था, उसने नेपाल के लिए राशन से लेकर तेल, औषधियां सबका संकट पैदा कर दिया था। ओली ने आरोप लगाया था कि भारत जानबूझकर इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। उस समय के उनके तथा नेपाली मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के बयानों को देखें तो लगेगा ही नहीं कि दोनों देशों के बीच वाकई कभी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। भारत के खिलाफ वातावरण बनाया गया, नेपाली केबल से भारत के टीवी चैनल हटा दिए गए, भारतीय सिनेमा प्रतिबंधित हो गया, भारतीय नम्बर की गाड़ियां हमले की शिकार हुईं, काठमांडू दूतावास की गाड़ी फूकी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुतले भी फूके जाने लगे। प्रतिक्रिया में चीन के साथ संबंधों को सशक्त करके भरपाई करने की कोशिश हुई। यह बात अलग है कि कम से कम अभी की भौगोलिक स्थिति में चीन, नेपाल के लिए भारत का स्थानापन्न नहीं कर सकता था। हालांकि उसके बाद फरवरी, 2016 में ओली भारत आए। उस समय नौ समझौते हुए। किंतु उनकी सोच बदल गई हो ऐसा मान लेने का प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। परंपरा के अनुरूप इस बार उन्होंने अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत भारत से की है, जो सकारात्मक संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर बीरगंज में जिस नये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है, उससे दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों का आवागमन बढ़ेगा। दोनों नेताओं ने मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच तेल पाइप

नए नेपाल से निपटते हुए (अमर उजाला)

चीन के वर्चस्व ने वैश्विक मामलों को प्रभावित किया है, लेकिन भारत के निकट पड़ोसियों पर उसका जितना प्रभाव पड़ा है, उतना और कहीं नहीं। इस क्रम में वह नेपाल में व्यापक बदलाव के लिए तैयार है। नेपाल अपनी आपूर्ति और ईंधन के लिए पूरी तरह भारत पर निर्भर है। चीन की तुलना में भारत के साथ उसके बहुत पुराने सांस्कृतिक-सामाजिक संबंध भी हैं। पर अब जब भारत के साथ उसके रिश्ते परेशानी से भरे हैं (चाहे भारत के लोग इसे स्वीकार करना पसंद करें या नहीं), चीन उसके साथ रिश्ते मजबूत करने का आकांक्षी है। सदियों तक भारत की ओर देखने के बाद अब नेपाल हिमालय के पार देखना चाहता है।

राजशाही समाप्त होने के बाद पहली बार नेपाल की सरकार स्थिर और व्यापक बहुमत में है। वहाँ के मार्क्सवादी-लेनिनवादी प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, जो माथे पर तिलक लगाते हैं, भारत और चीन के साथ ज्यादा न्यायसंगत रिश्ते चाहते हैं। वह अपने दोनों विशाल पड़ोसी के साथ अपनी वर्षों पुरानी नीति को व्यापक संतुलन के साथ लागू करना चाहते हैं। भारत को अपने हितों से समझौता किए बिना उससे बेहद सावधानी से निपटने की जरूरत है। ऐसा करना कठिन है। ओली और उनके कम्युनिस्ट साथियों के साथ चीन की आत्मीयता है। चीन का उनसे राजनीतिक और वैचारिक संबंध हों न हों, पर आर्थिक-रणनीतिक संबंध गहरे हैं। दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों की तरह नेपाल अब भारत का पिछलगू नहीं है।

2016 में ओली की नई दिल्ली यात्रा के बाद से, जब नेपाल भारत की ओर से अघोषित नाकेबंदी झेल रहा था, घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय गतिशीलता में काफी बदलाव आया है। जब-जब ऐसा किया गया है, भारत ने नेपाली लोगों की सद्भावना खो दी है। भारत-विरोधी होना नेपालियों के लिए राजनीतिक रूप से सही माना जाता है। भारत की चुनौती अपने सभी छोटे-बड़े पड़ोसियों से निपटने में है, पर वे सभी चीन के आर्थिक शिकंजे और भू-राजनीतिक पकड़ के दायरे में हैं।

लाइन बिछाने की आधारशीला रखी। रक्सौल और काठमांडू के बीच रेललाइन बिछाने पर सहमति हुई। ऐसा हो जाने से केवल दिल्ली ही नहीं, भारत के सभी कोनों से नेपाल जुड़ जाएगा। इस साल के अंत तक जयनगर से जनकपुर/कुर्था तथा जोगबनी से विराटनगर कस्टम यार्ड के बीच रेललाइन तैयार हो जाएगी। जयनगर-विजलपुरा-वर्दीवास और जोगबनी-विराटनगर परियोजनाओं के शेष हिस्से पर काम आगे बढ़ाया जाएगा। जल परिवहन को विकसित करने का मतलब है नदियों के साथ नेपाल का समुद्र तक प्रवेश। इस तरह देखें तो भारत, नेपाल के विकास तथा वहाँ के नागरिकों एवं सरकार, दोनों के साथ पूर्व के संबंधों के अनुरूप ही सहयोग के रास्ते बढ़ रहा है। कुछ लोग रेललाइन को चीन द्वारा तिब्बत से होकर नेपाल तक रेल मार्ग विकसित करने की योजना का जवाब मान रहे हैं। लेकिन भारत का कदम प्रतिक्रियात्मक नहीं है। न्यू जलपाईगुड़ी-काकरभिट्टा, नौतनवां-भैरहवा और नेपालगंज रोड-नेपालगंज रेल परियोजनाओं पर भी विचार चल रहा है। कोई संबंध एकपक्षीय नहीं हो सकता। ओली को विास तो दिलाना होगा कि पिछले बयानों से उन्होंने अपने अंदर भारत विरोधी भाव गहरा होने का जो संदेश दिया था, वह बदल गया है। उन्होंने भारत के साथ व्यापार असंतुलन की बात की और भारत ने कहा कि इसे साथ मिलकर ठीक करेंगे। तो सब कुछ उनके अनुकूल हुआ। ओली ने भारत आने के पूर्व एक अखबार से बातचीत में कह दिया कि भारत को दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने के साथ ही एक संप्रभु देश के फ़ैसलों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन भारत ने संप्रभु देश के रूप में नेपाल का कब सम्मान नहीं किया है? मान भी लें कि भूतकाल में भारत की ओर से व्यवहारतः कुछ गलतियाँ हुई होंगी लेकिन दो दशक से ज्यादा समय से तो ऐसा कुछ होते नहीं दिखा। चीन के साथ संबंधों को लेकर उनका कहना था कि हमारे पड़ोस में दो बड़े देश हैं। हमें दोनों देशों से दोस्ती रखनी है। लेकिन हांगकांग के एक अखबार से ओली ने कहा था कि भारत के साथ हमारी बेहतरिनी कनेक्टिविटी है, खुली सीमा है। लेकिन यह भी नहीं भूल सकते कि हमारे दो पड़ोसी हैं। हम किसी एक देश पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते। केवल एक विकल्प पर नहीं। इसका अर्थ समझना कठिन नहीं है। नेपाल संप्रभु देश है। किससे संबंध रखे और न रखे यह उसका अधिकार है। किंतु उसे किसी देश से संबंध बनाते वक्त ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इससे कहीं भारतीय हित तो प्रभावित नहीं होंगे। ओली ने जिस तरह मोदी के सामने पाकिस्तान की वकालत की वह आघात पहुंचाने वाली है। उन्होंने मोदी से इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया। क्या ओली को नहीं पता कि भारत, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से कितना पीड़ित है? 2016 में इस्लामाबाद सम्मेलन में भारत जाने को तैयार था, लेकिन उरी हमला हो गया और उस पर पाकिस्तान ने जो रुख अपनाया उसके बाद विवश होकर भारत को वहाँ न जाने का निर्णय करना पड़ा और सार्क

अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में भारत ने कैसे अवसर गंवाए, यह कहना आसान है, पर बेहतर है कि हम पिछली गड़बड़ियाँ छोड़ आगे की तरफ देखें और चीनी चुनौती को देखते हुए अब हर रिश्ते को ज्यादा सजगता से सार्थक बनाएं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल के साथ बेहतर रिश्ता बनाने की दिशा में अपनी पहली यात्रा के साथ मोदी ने अच्छी शुरुआत की थी, पर भूकंप के बाद भारत की ओर से अत्यधिक राहत ने नेपालियों को कृतज्ञ होने के बजाय सामूहिक रूप से तुच्छता का एहसास कराया। पिछले चार साल में भारत-नेपाल रिश्ते में काफी खटास आई है, जिसे गंभीरता से सुधारने की जरूरत है।

भारत ने 1950 की उस द्विपक्षीय संधि की समीक्षा की मांग पर सहमति जताकर बेहतर संकेत दिया है, जिसे न सिर्फ नेपाल, बल्कि वहाँ के मुखर मध्यवर्गीय लोग एकतरफा और अन्यायपूर्ण मानते रहे हैं। नेपाल उस संधि और खुली सीमा से लाभ उठाता है, पर जनधारणा का भी मतलब होता है। तथ्य यह है कि भारत के संबंध (चाहे संप्रग सरकार हो या राजग) नेपाली कम्युनिस्टों के साथ असहज रहे हैं और यह दिखा है।

संधि की समीक्षा के लिए तत्परता के अलावा मोदी सरकार के सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण ने प्रतीकात्मक प्रभाव डाला है। अपनी तरफ से ओली ने भी अपनी नीति में परिवर्तन किया है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान पहले चीन की यात्रा कर भारत को नाराज कर दिया था और फिर भारत पर सत्ता से हटाने का आरोप लगाया। पर दूसरे कार्यकाल में उन्होंने उसमें सुधार करते हुए अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत को चुना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ओली का स्वागत करते हुए 'विशेष साझेदारी' पर जोर दिया। उन्होंने ओली को आश्वस्त किया कि 'नेपाल की स्थिरता और आर्थिक समृद्धि' में ही भारत का स्थायी हित है। नेपाल में चीन के प्रभावों (वास्तविक और राजनीतिक) पर कोई चिंता या चेतना का जिक्र किए बिना मोदी ने दोनों देशों में लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात की।

भारत अब एक नए नेपाल के साथ निपट रहा है। वहाँ वामपंथी गठबंधन सरकार के चुनाव से वाम दलों की एकजुटता आगे बढ़ेगी, जो विश्व समुदाय के साथ नए तरीके से रिश्ते बनने का संकेत है : यह ज्यादा राष्ट्रवादी होगा, व्यावसायिक दृष्टिकोण बढ़ेगा और विदेशी शक्तियों को नेपाल के आंतरिक मामलों से दूर रहने के प्रति सावधानी बरतनी होगी। अपनी घरेलू राजनीति में सुरक्षित महसूस करते हुए लगता है कि ओली नेपाल को बाह्य तौर पर ज्यादा आश्वस्त रूप में पेश करना चाहते हैं।

इसके लिए नेपाल को दुनिया के साथ जुड़ने की जरूरत है। मोदी ने बिल्कुल सही वायदा किया कि नेपाल की प्राथमिकताओं के आधार

सम्मेलन न हो सका। यह जानते हुए भी ओली ने यदि यह प्रस्ताव दिया तो इसे सभ्य कूटनीतिक व्यवहार नहीं कहेंगे। इसका जवाब दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था, किंतु कूटनीतिक शिष्टाचार को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे शालीनतापूर्वक कह दिया कि आतंकवाद के जारी रहते भारत के लिए पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन में जाना संभव नहीं होगा। पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नेपाल बुलाकर उन्होंने जिस तरह उनकी आवभगत की उसे नेपाल अपनी स्वतंत्र विदेश नीति कह सकता है, लेकिन साफ था कि इसके पीछे चीन की भूमिका थी। क्या सच नहीं है कि चीन दक्षिण एशिया में भारत को अलग-थलग करने नीति पर चल रहा है? उसने क्षेत्र के देशों के लिए थैली खोल दी है। हमारा आग्रह होगा कि ओली और नेपाल के दूसरे नेता इस रणनीति का हथियार न बनें। हम सार्क की सफलता चाहते हैं, लेकिन अभी तक इसके मार्ग की बाधा पाकिस्तान ही रहा है। ओली अपने देश को सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह नेतागिरी करने से क्षति नेपाल को ही होगी।

नेपाल से मधुर रिश्तों की चुनौती (प्रभात खबर)

भारत और नेपाल के रिश्ते सदियों पुराने हैं। लेकिन उनमें उतार-चढ़ाव आता रहा है। भारत और नेपाल के बीच जैसा जुड़ाव है, वैसा दुनिया में किसी अन्य देश के बीच नहीं है। हम भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हर तरह से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। भारत और नेपाल ने अपने विशेष संबंधों को 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि से नयी पहचान दी।

इस अंतरराष्ट्रीय संधि के माध्यम से दोनों देशों के संबंधों के आयाम निर्धारित किये गये। संधि के अनुसार दोनों देशों की सीमा एक-दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेगी और वे उन्हें एक-दूसरे के देशों में बेरोकटोक आ जा सकेंगे और उन्हें काम करने की छूट होगी। यही संधि दोनों देशों के बीच एक गहरा रिश्ता स्थापित करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालने के तुरंत बाद पड़ोसी देशों पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। वह नेपाल की यात्रा पर भी गये। नेपाल में आये भूकंप के दौरान भारत ने तत्काल मदद के लिए हाथ बढ़ाया और राहत एवं बचाव कार्य में अहम भूमिका निभायी थी। इससे दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हुए और लगा कि रिश्ते नये मुकाम तक पहुंचेंगे। लेकिन मधेसी और अन्य मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच खटास आ गयी और हाल के दौर में तो दोनों देशों के बीच अविश्वास और बढ़ गया है।

नेपाली नेतृत्व के चीन की ओर झुकाव को लेकर भारत चिंतित हुआ है। यहाँ तक कि हाल के दिनों में नेपाली प्रधानमंत्री ओली के चीन के साथ नजदीकियों को देखते हुए भारत-नेपाल के बीच संबंध बिगड़ने की आशंका जतायी जा रही थी। उनके शुरुआती बयानों से इस आशंका को और हवा मिली।

पर भारत लगातार उसे समर्थन देगा। इस प्रकार दोनों पक्ष हर तरह की कनेक्टिविटी परियोजना में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। तिब्बत में ल्हासा को काठमांडू से जोड़ने की चीन की कोशिश से भारत घबराया हुआ है। देर से ही सही, पर भारत का यह स्वागतयोग्य कदम है कि एक नई रेलवे लाइन के जरिये काठमांडू भारत से जुड़ जाएगा।

नेपाल में चीन द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर चिंतित होने के बजाय भारत को नेपाल की सड़कों को विकसित करना चाहिए और कोसी, गंडक नदियों के दोहन तथा बिजली उत्पादन में मदद करनी चाहिए और बिजली खरीदनी चाहिए। एक समय था, जब भारत नेपाल पर सफलतापूर्वक यह दबाव डाल सकता था कि वह चीन से रक्षा सामग्री न खरीदे, पर अब समय बदल गया है। भारत नेपाल का सर्वश्रेष्ठ भागीदार बन सकता है, पर किसी विशेष आधार पर नहीं।

बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा भारत रोजगार सृजन में भी नेपाल की मदद कर सकता है। नेपाल की जरूरतों और चिंताओं को इस तरह भारत संबोधित कर सकता है। यह ऐसा वक्त है, जब भारत नेपाल से दूर जाने का जोखिम नहीं उठा सकता।

रिश्ते का नया रंग (नवभारत टाइम्स)

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा से भारत-नेपाल संबंध को एक नया आयाम मिला है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ओली ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना और भारत ने भी काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। दोनों अतीत की कड़वाहट को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस तरह बराबरी और परस्पर विश्वास पर आधारित रिश्ते की शुरुआत हुई है। आज हमारे सामने एक नया नेपाल खड़ा है।

इसका नेतृत्व वर्ग बदला हुआ है, जो पुराने नेताओं से अलग नजरिया रखता है। वह व्यावहारिक रवैया अपनाना चाहता है। वह किसी एक देश से विशिष्ट संबंध रखने के बजाय सभी पड़ोसियों और अन्य मुल्कों के साथ बराबरी का रिश्ता कायम करना चाहता है।

चीन से बेहद निकटता के बावजूद ओली ने भारत के महत्व को कम करके नहीं देखा। उन्हें एहसास है कि भारत से बेहतर संबंध बनाए बगैर नेपाल में स्थायी शांति और आर्थिक विकास संभव नहीं है। उनका मानना है कि नेपाल के नवनिर्माण के लिए चीन और भारत दोनों की जरूरत है। इसलिए वह एक संतुलन बनाकर रखना चाहते हैं।

भारत ने भी नेपाल के प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत महसूस की है। शायद इसीलिए ओली से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की द्विपक्षीय सहायता अब काठमांडू की प्राथमिकता से तय होगी। जाहिर है, भारत सरकार नई वास्तविकता को स्वीकार कर रही है।

दरअसल पिछले कुछ वर्षों में एक के एक ऐसी परिस्थितियां बनती गई जिससे भारत-नेपाल के बीच कड़वाहट आई। मजबूरन नेपाल को चीन की तरफ झुकना पड़ा। चीन ने इसका फायदा उठाते हुए वहाँ तेजी से निवेश किया।

उन्होंने घोषणा की थी कि नेपाल चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना में शामिल होगा। लेकिन चीन के बजाय भारत की पहली विदेश यात्रा कर ओली ने रिश्तों को पटरी पर लाने की दिशा में पहल की है। उन्होंने अपनी इस यात्रा से स्पष्ट संदेश दिया है कि नेपाल की पहली प्राथमिकता भारत है और उसके सहयोग के बिना नेपाल में स्थायी शांति और आर्थिक विकास संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री ओली की इस यात्रा के दौरान रेल सेवा पर समझौता हुआ है। इसके तहत काठमांडू और दिल्ली सीधे रेल लाइन से जुड़ जायेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच नदी परिवहन के रास्ते खोले जाने पर सहमति हुई है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच तेल पाइपलाइन की आधारशिला रखी और बीरगंज में नये इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन किया। भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों के बीच हुए तीन समझौतों को दोनों देशों के बीच संबंधों की नयी इबारत माना जा रहा है। इनमें सबसे अहम रक्सौल और काठमांडू के बीच रेललाइन बिछाना है। जल परिवहन के लिए बनी सहमति को भी ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है। इससे जमीन से घिरे नेपाल को नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है।

भारत ने नेपाल में कृषि के विकास के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत कृषि के विकास में अपने अनुभवों और नयी तकनीकों को साझा करेगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ओली जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय भी गये और उन्होंने वहाँ कृषि क्षेत्र में हो रहे प्रयोगों का जायजा भी लिया।

वैसे देखा जाये तो नेपाल की एक बड़ी चुनौती है, वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता। राजशाही के बाद पिछले दस वर्षों में नेपाल इतने ही प्रधानमंत्री देख चुका है। इसमें प्रचंड दो बार और ओली भी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। 2008 में राजशाही समाप्त होने के बाद नेपाल में जनतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई। लेकिन यह मजबूती से अब तक पैर नहीं जमा पाया है। वहाँ अब भी राजनीतिक अस्थिरता का बोलबाला है।

नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। वर्तमान में भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग के तहत छोटी बड़ी लगभग 400 परियोजनाएं चल रही हैं। वहाँ उद्योग-धंधे नगण्य हैं। भारत में लगभग 50 लाख नेपाली नागरिक काम करते हैं। वे नेपाल में अपने परिवारों को अपनी कमाई का एक हिस्सा भेजते हैं। यह राशि नेपाल की जीडीपी में प्रमुख योगदान देती है।

बिहार का तो नेपाल के साथ रोटी-बेटी का रिश्ता रहा है। नेपाल का दक्षिणी इलाका भारत की उत्तरी सीमा से सटा है। यह तराई वाला इलाका है, जो मधेस के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक कारणों से नेपाली नेताओं ने पर्वतीय वासियों और तराई वासियों के बीच एक अविश्वास का भाव रहा है। पिछले दिनों संविधान में उचित प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर मधेसी लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया था। उन्होंने भारत से नेपाल को रसद और तेल की आपूर्ति के सारे मार्गों की नाकाबंदी कर दी थी।

उसकी वजह से उत्तरी नेपाल में रहने वाली जनता को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा था।

यही तत्परता शुरू से भारत ने दिखाई होती तो चीन के पैर वहाँ कभी नहीं जमते। यह एक सच्चाई है कि नेपाल में भारत की मदद से शुरू की गई कई परियोजनाएं बेहद धीमी गति से चल रही हैं, कुछ तो दशकों से लंबित हैं। अपनी यात्रा में ओली ने इस ओर ध्यान खींचा। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देश बिहार के रक्सौल से काठमांडू तक रेललाइन बिछाने पर सहमत हुए हैं।

आम लोगों के साथ-साथ माल ढुलाई के लिहाज से भी यह परियोजना काफी अहम मानी जा रही है। भारत नेपाल को अपने जलमार्गों के जरिए समुद्र तक पहुंचने का रास्ता देने पर भी सहमत हुआ है। भारत काठमांडू को कृषि में भी सहायता देने जा रहा है।

भारत कृषि के विकास में अपने अनुभव और नई तकनीकों को साझा करेगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ओली जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय भी गए और उन्होंने वहाँ कृषि क्षेत्र में हो रहे प्रयोगों का जायजा भी लिया। अगर नेपाल में चीन के प्रभाव को बढ़ने से रोकना है तो भारत को अपनी सभी परियोजनाएं तेजी से पूरी करनी होंगी। तभी वहाँ की जनता में भी भारत के प्रति विश्वास कायम होगा।

उस दौरान ओली समेत अन्य अनेक नेताओं ने इस नाकेबंदी का सारा दोष भारत पर मढ़ दिया था।

इससे नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं को बल मिला। भले ही भारत इससे इनकार करे, लेकिन यह कोई रहस्य नहीं है कि नेपाल के राजनीतिक समीकरणों में भारत की अहम भूमिका रहती है। लेकिन इस सबसे भारत नेपाल संबंधों में कड़वाहट काफी बढ़ गयी और चीन ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। भारत-नेपाल के रिश्तों के बीच खटास का एक अन्य प्रमुख कारण नदी जल विवाद भी रहा है।

भारत अरसे से कोसी नदी पर बांध बनाये जाने की मांग नेपाल से करता आया है। इससे नेपाल में बिजली उत्पादन भी संभव हो पायेगा। इसके लिए भारत ने पूरी मदद का आश्वासन भी दिया है। बिहार का एक बड़ा इलाका हर साल कोसी नदी की बाढ़ की चपेट में आ जाता है। दूसरी ओर नेपाल का कहना है कि बांध बनाने से नेपाल की जमीन का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जायेगा। नेपाल सरकार का हमेशा से इस मामले टालमटोल रवैया रहा है।

भारत और नेपाल के दशकों पुराने विशिष्ट संबंध आज तनाव का ताप झेल रहे हैं। चीन तो चर्चा में अभी आया है। भारत का हमेशा से नेपाल पर व्यापक प्रभाव रहा है। यह चिंता का विषय है कि इतने घनिष्ठ और मधुर संबंधों में यह अविश्वास की फांस कैसे पैदा हुई? यह सही है कि भारत ने घोषणा कर रखी है कि वह नेपाल के आंतरिक और राजनीतिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है।

लेकिन भारत के नेपाल में इतने हित हैं कि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। लेकिन हस्तक्षेप उतना ही हो, जिससे नेपाल की जनता का भरोसा न टूटे और लोगों को यह न लगे कि भारत बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है और आंतरिक मामलों पर एक तरह से हुक्मनामा सुना रहा है। भारत को नेपाल से रिश्तों की मधुरता हर हालत में कायम रखनी होगी, ताकि चीन को वहाँ पांव जमाने का कोई अवसर न मिले।

भारत-नेपाल मैत्री संधि

- अनेक कूटनीतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप 1950 में भारत और नेपाल के मध्य मैत्री संधि हुई।

संधि के प्रावधान

- दोनों देशों ने एक-दूसरे की सुरक्षा की गारंटी ली।
- एक-दूसरे के विरुद्ध विदेशी आक्रमण को सहन नहीं करेंगे।
- नेपाल अपनी युद्ध सामग्री भारत से खरीदेगा।
- यदि नेपाल युद्ध सामग्री किसी अन्य देश से खरीदता है तो वह भारत से होकर जायेगी।
- अन्य देश के कारण उत्पन्न समस्या पर एक-दूसरे से विचार करेंगे।

मधेशी समस्या

मधेशी का अभिप्राय

- नेपाल में पहाड़ी और तराई क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र को ही मधेशी क्षेत्र कहा गया, जो नेपाल के पहाड़ी और मैदानी भाग के बीच का भाग है। इस मधेशी क्षेत्र में नेपाल के 22 जिले सम्मिलित हैं, जिनके जनपद की सीमा भारत की सीमा के साथ मिलती है।
- मधेशियों में भारतीय मूल के मधेशी हैं और नेपाली मधेशी भी हैं। नेपाल की जनसंख्या का लगभग 40% से ज्यादा हिस्सा इस भाग में निवास करता है। नेपाल के कृषि उत्पादन का 65% तथा नेपाल के कुल राजस्व का 70% भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है।
- मधेशी, मैथिली, भोजपुरी एवं हिन्दी भाषा बोलते हैं। इसलिए इनके सांस्कृतिक और वैवाहिक संबंध भारतीयों से हैं।

मधेशियों के साथ नेपाल में भेदभाव

- मधेशियों के साथ अनेक प्रकार के भेदभाव हुए। उदाहरण के लिए, वर्ष-1964 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार मधेशियों को नागरिकता के सर्टिफिकेट से वंचित कर दिया गया, जिससे उन्हें नेपाल में भूमि खरीदने के अधिकार से भी वंचित होना पड़ा।

- मधेशियों के अनुसार, मधेशी क्षेत्र का विकास नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक कम हुआ है।
- मधेशी ये भी मानते हैं, कि भारत का दृष्टिकोण सदैव काठमांडू केन्द्रित होता है और भारत भी मधेशियों के हितों की उपेक्षा करता है।

नेपाल सरकार का मधेशियों के बारे में दृष्टिकोण

- नेपाल सरकार मधेशियों को भारत समर्थक मानती है।
- माओवादियों और मधेशियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हो चुके हैं।
- माओवादियों ने आरोप लगाया कि मधेशियों को भारत उकसाता है।

नेपाल और चीन की नजदीकी से भारत का नुकसान

- नेपाल अपना 60% आयात भारत के जरिये पूरा करता है। चीन के साथ समझौते से भारतीय बंदरगाहों पर नेपाल की निर्भरता खत्म हो जाएगी।
- हिमालय जो कि नेपाल और चीन के संपर्क में एक बाधक बना था, अब दोनों देशों को जोड़ने वाला बन गया है।
- ट्रांजिट एंड ट्रेड समझौता दक्षिण एशिया में नए समीकरण का सूत्रपात करेगा। चीन का नेपाल में प्रवेश भारत को घेरने की उसकी योजना का हिस्सा है।
- चीन द्वारा नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की योजना भारतीय सीमाओं तक चीनी सैनिकों की पहुंच सुनिश्चित करेगी।
- नेपाल-चीन के बीच रेल संपर्क की बहाली सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ाएगी। यही एक मात्र कॉरिडोर है जो पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है।
- नेपाल में चीन की मौजूदगी का अर्थ है कि भारत के अलगाववादियों और माओवादियों तक उसकी पहुंच बढ़ जाएगी।
- साथ ही भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा संबंधी दूसरी समस्याएं पैदा होंगी।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. “किसी भी देश की राजनीतिक अस्थिरता उसके पड़ोसी देशों को प्रभावित करती है।” इस कथन के संदर्भ में वर्तमान में भारत-चीन के मध्य उभरे तनाव को मद्देनजर रखते हुए भारत-नेपाल संबंधों पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिये।

(250 शब्द)

भारत-चीन संबंध

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

हाल ही में देश और दुनिया के अर्थविशेषज्ञ यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध में भारत से चीन को निर्यात बढ़ने की नई संभावनाएँ निर्मित हो गई हैं। वहीं भारत और चीन के बीच स्थलीय सीमा को लेकर आये दिन विवाद भी होता रहा है। वर्ष 1962 के बाद 2017 भारत-चीन संबंधों में सबसे ज्यादा हलचल भरा रहा। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'प्रभात खबर', 'जनसत्ता', 'अमर उजाला' एवं 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

चीन में भारत का सॉफ्ट पावर (प्रभात खबर)

भारत ने हमेशा से चीनी आमजनों को आकर्षित किया है। चाहे बात धर्म-संस्कृति की हो या भाषा विविधता की। रबींद्रनाथ टैगोर से लगभग हर चीनी अवगत है, वहीं गांधी सिर्फ इतिहास की पाठ्य पुस्तकों तक हैं।

राजकपूर की फिल्म 'आवारा' की यादें अब भी पुरानी पीढ़ियों के साथ जीवित हैं। वहीं आमिर खान की लोकप्रियता चीनी युवाओं के बीच है। इन कलाकारों ने चीन में भारत की एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत की है। बॉलीवुड की धुनें आपको वरिष्ठ नागरिकों, खासकर महिलाओं द्वारा की जानेवाली 'सार्वजनिक चौक नृत्य' (कुआंग छांगवू) और नृत्य कक्षा में अक्सर सुनी जा सकती हैं।

योग शहरी चीनी के बीच काफी लोकप्रिय है। चीनी अकादमी ऑफ सोशल साइंसेज (सीएसएस) और अन्य ने 'योग ब्लू बुक: चीन योग उद्योग विकास रिपोर्ट' में कहा है कि योग चीन के स्वास्थ्य उद्योग में सबसे तेजी से बढ़ते श्रेणियों में एक है।

आंकड़ों के अनुसार 14,146 योग केंद्र चीन के 31 प्रांतों के 132 शहरों में फैले हुए हैं। हालांकि, चीन में योग का चलन एक व्यायाम के रूप में है, न कि ध्यान विधा के रूप में। चीन में तेजी से हो रहे शहरीकरण और भागमभाग की जिंदगी के कारण, योग का चलन नजदीक भविष्य में और ज्यादा बढ़ेगा।

कुछ समय पहले आमिर खान की दंगल ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड 2,000 करोड़ युआन कमाये। चीन के 'तऊबान', जो आईएमडीबी का समतुल्य है, पर दंगल को 9.1 / 10 स्कोर मिला। जब आमिर खान शंघाई विवि में आये, तो वह 'ली ताखांग', जो लोकप्रिय चीनी भ्रष्टाचार विरोधी टीवी धारावाहिक 'इन द नेम ऑफ पीपल' का एक चरित्र है, से मुलाकात की।

इस तरह की मुलाकात भारतीय अभिनेता को चीन के सुदूर गांवों तक लोकप्रिय बनाता है। कुछ वैसा ही, जैसा कपिल शर्मा के टीवी शो में कुंग-फू योग को बढ़ावा देने के लिए चीनी अभिनेता जैकी चैन आते हैं।

भारत का सॉफ्ट पावर चीनी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। पिछले साल चीनी लोगों ने दुनियाभर में भ्रमण पर 2,611 अरब डॉलर खर्च कर डाले, और उम्मीद है कि इनका ये खर्च आनेवाले

चीनी चक्रव्यूह तोड़ने की चुनौती (दैनिक जागरण)

वर्ष 1962 के बाद 2017 भारत-चीन संबंधों में सबसे ज्यादा हलचल भरा साल रहा। बीते साल चीन ने बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआइ का आगाज किया। इसका मकसद हान राजवंश के 2000 साल पुराने चीनी स्वर्णिम दौर वाले रेशम मार्ग को पुनर्जीवित करना है। यह बुनियादी ढांचे और निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी परियोजना है। इसमें 68 देशों के साथ दुनिया की 65 फीसद आबादी जुड़ी है इसमें वैश्विक जीडीपी का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। इसे सहभागी पहल बनाने के बजाय बीजिंग ने इसमें अपना मनमाना एजेंडा लागू कर दिया। भारत के सामने दो विकल्प थे या तो वह चीन का पिछलग्गू बनकर बीआरआइ में शामिल हो जाए या फिर एकसमान विचारों वाली आर्थिक शक्तियों के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका प्रगति गलियारे यानी एएजीसी जैसी किसी पहल को बढ़ाए।

मोदी ने दूसरा विकल्प ही चुना और फिर जून, 2017 में डोकलाम का मसला सामने आ गया। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग निजी एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी नेता हैं। वह चीन के महान हान सम्राट वू (141-87 ईसा पूर्व) के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वू का दौर चीन में स्वर्णिम काल माना जाता है। तब चीन की सीमाएं पश्चिम में किर्गिस्तान से लेकर पूर्व में कोरिया और दक्षिण में वियतनाम तक फैली हुई थीं। हान राजवंश ने ही रेशम मार्ग बनाया और कालांतर में उनके दौर में ही चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार भी हुआ। चिनफिंग खुद हान समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और वह अपने बहुप्रचारित 'चीनी स्वप्न' और 'चीनी राष्ट्र के पुनरोत्थान' को अमली जामा पहनाकर आधुनिक वू बनना चाहते हैं।

चिनफिंग न केवल दक्षिण चीन सागर और बीआरआइ के जरिये चीन को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि चीन को विश्व में बौद्ध धर्म का अगुआ बनाने पर भी काम कर रहे हैं। औपनिवेशिक काल से सीख लेते हुए बीजिंग भारतीय हिमालयी पट्टी, मंगोलिया और रूस में अपनी पैठ जमाने के लिए तिब्बत के ताकतवर सांस्कृतिक जुड़ाव का सहारा ले रहा है। धार्मिक कूटनीति के माध्यम से ही चीन को म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल सहित कई जगहों पर परियोजनाएं आसानी से मिली हैं। दक्षिण एशिया में अपने हित साधने और भारत को घेरने के लिए चीन ने 'मोतियों की माला' वाली रणनीति बनाई है। इसके तहत वह पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में नौसैनिक ठिकाने बना रहा है।

चीन-पाकिस्तान के सामरिक रिश्ते चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी के साथ और परवान चढ़ गए हैं। सीपीईसी की मंशा पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था में भारी सुधार करने की है। इसमें कनेक्टिविटी के साथ ही तमाम ऊर्जा परियोजनाएं

दिनों में और बढ़ेगा। हालांकि, 2016 में सिर्फ 2.54 लाख चीनी लोगों ने भारत की यात्रा की, जबकि 6.76 लाख भारतीयों ने चीन का दौरा किया। भारत की सांस्कृतिक आकर्षण शक्ति पर दोनों पक्षों का झगड़ालू मीडिया भारी पड़ रहा है।

कहना उचित होगा कि समकालीन भारत-चीन संबंध हमारी मीडिया का कैदी बनकर रह गया है। सौभाग्यवश नीति-निर्माता इन 'मीडिया ट्रायल' के बहकावे में नहीं आते, जैसा कि पिछले साल 72 दिन के बाद डोकलाम तनाव का शांतिपूर्वक निवारण दर्शाता है।

सिर्फ चीन की अंग्रेजी मीडिया ही नहीं है, जो भारत विरोधी रिपोर्टिंग करता है, बल्कि भारतीय मीडिया भी चीन को टारगेट करता है, ताकि चीन नियंत्रण में रहे। 'चीन पर अंकुश', 'चीन को सबक', 'चीन की हालत खराब', 'पूरा चीन अग्नि मिसाइल के दायरे में' कुछ इस तरह की सुर्खियां हमेशा भारतीय मीडिया में दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के हितों की रक्षा के लिए मीडिया सतर्क न रहे, पर अटकलें नहीं लगाना चाहिए, इस सबसे हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर विपरीत असर पड़ता है।

भारतीय मीडिया भूल जाता है कि सनसनी भरी इनकी सुर्खियों को चीनी मीडिया अपने फायदे में इस्तेमाल करता है। मसलन, चीनी मीडिया इन्हीं सुर्खियों के हवाले से कहता है कि भारत चीन से द्वेषभाव रखता है और क्षेत्रीय सुरक्षा को बदलना चाहता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चीनी अनुवादित खबर को चीन में बड़े चाव से पढ़ा जाता है, जो भारत के बारे में चीनी लोगों की धारणाओं को बदल सकता है।

इस तरह की सनसनी रिपोर्टिंग से कभी भी वांछित सामरिक लाभ नहीं मिल पाता, बल्कि पासा उलटा पड़ सकता है। भारतीय मीडिया को भारत-चीन प्रतिस्पर्धा और भारत-पाक शत्रुता के बीच का अंतर समझकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, न कि भड़काने के लिए। दूसरी ओर, चीनी मीडिया को भी एहसास होना चाहिए कि भारत एक तेजी से उभरती शक्ति है, उनकी सनसनी सुर्खियों से भारत पीछे नहीं हटनेवाला है। बहरहाल, इस तरह की अंधराष्ट्रीयता से दोनों देशों के राष्ट्रीय हित तो नहीं सध रहे, नफरत जरूर बढ़ रही है।

आमिर खान अभिनीत फिल्म 'सिक्रेट सुपरस्टार' ने चीन में तीन दिनों के भीतर 175 करोड़ रुपये की कमाई की, जो यह साबित करता है कि चीनी आम लोगों, खासकर चीनी युवाओं में अब भी कोई घृणा नहीं पनपा है, अगर डोकलाम तनाव के परिपेक्ष्य में देखें तो।

जब मिसाइल रक्षा प्रणाली (टीएचएएडी) को दक्षिण कोरिया में तैनात किया गया, तो कई कोरियाई पॉप गायक और कोरियाई टीवी प्रसारण पर चीन में रोक लगा दिया गया था।

दिलचस्प बात है कि डोकलाम विवाद के दौरान भारत को लेकर ऐसी कोई रोक-टोक नहीं लगी और न ही विरोध में कोई सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ। चीनी जनता अब भी भारत के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखती है, पर भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

दोनों देशों के मीडिया को अपने सुर और ताल में मिठास लाना होगा, तभी भारत-चीन का संबंध प्रगाढ़ और मजबूत बनेगा। मीडिया को चाहिए कि नकारात्मक तेवर से दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्मी, विश्वास और आत्मविश्वास पर वह चोट ना करे।

और विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का राजनीतिक एवं सैन्य नेतृत्व चीनी अहसान के आगे नतमस्तक है। चीनी कर्ज और मदद की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि पाकिस्तान उनसे कभी उबर नहीं पाएगा। बीजिंग पाकिस्तान पर स्थाई रूप से पकड़ बना लेगा और भारत के समक्ष दोहरे मोर्चे पर एक कड़ी चुनौती उत्पन्न होगी।

पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर नियंत्रण से भी चीन हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाएगा। अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच माल दुलाई का यह महत्वपूर्ण मार्ग है। इससे चीन को मलक्का जलडमरूमध्य से नहीं गुजरना होगा जो चीन के आयात-निर्यात का मुख्य समुद्री मार्ग है। समुद्री डाकूओं से बुरी तरह प्रभावित यह मार्ग दक्षिण चीन, पूर्वी चीन और पीले सागर से होकर गुजरता है। तीनों सेनाओं से लैस भारत की अंडमान निकोबार कमान मलक्का जलडमरूमध्य के मुहाने पर है जो इसे कभी भी अवरुद्ध कर सकती है। यह तकरीबन 12,000 किलोमीटर लंबा है जबकि ग्वादर से शिनझियांग प्रांत की दूरी 3,000 किलोमीटर है तो चीन का पूर्वी तट शिनझियांग से और 3,500 किलोमीटर दूर है। सीपीईसी के चलते पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप को होने वाले चीनी आयात-निर्यात में दूरी और समय की बचत होगी जिससे परिवहन लागत भी घटेगी।

अफगानिस्तान में भी चीन प्रत्यक्ष निवेश के अलावा तेल एवं गैस, खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं विकसित कर रहा है। दिसंबर, 2017 में बीजिंग ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ मिलकर पहली त्रिस्तरीय बैठक बुलाई। इसका मकसद आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त रूप से कदम उठाना था, क्योंकि इसका सरोकार उसके अशांत शिनझियांग प्रांत की सुरक्षा से है। इसके अलावा बीजिंग ने अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को भी नए सिरे से शुरू किया है जो 2014 से ही अधर में लटकती हुई थी। साथ ही चीन काबुल को सीपीईसी के अफगानिस्तान में विस्तार करने के लिए भी मना रहा है। पाकिस्तान के बाद मालदीव दूसरा ऐसा दक्षिण एशियाई देश बना है जिसने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। 2014 में मालदीव का दौरा करने वाले चिनफिंग पहले चीनी राष्ट्रपति बने और उसके बाद से ही माले आधिकारिक रूप से 21वीं सदी के सामुद्रिक रेशम मार्ग से जुड़ गया। फिर चीन ने भी मालदीव में बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाएं शुरू कीं जिनमें हुलहुले का विकास और माले को देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ना भी शामिल है। मालदीव ने 2015 में संविधान संशोधन कर अपनी जमीन पर विदेशी स्वामित्व का प्रावधान जोड़ा जिससे चीन को मालदीव में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिला।

वर्ष 2015 में नेपाल में संवैधानिक संकट के बाद उपजे परिदृश्य से भारत सही ताल नहीं बिठा पाया। नतीजतन चीन को वहां पैठ बनाने का अवसर मिल गया। फिर 2017 के चुनाव में चीन समर्थित गठबंधन की सरकार बनने से भारत-नेपाल संबंधों पर और संशय के बादल गहरा गए। चीन काठमांडू को रेल के जरिये ल्हासा से जोड़ने की योजना बना रहा है। साथ ही बौद्ध पर्यटन स्थलों सहित कई परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। श्रीलंका में भी चीनी निवेश सड़कों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में फलीभूत हो रहा है। श्रीलंका तो चीनी कर्ज के जाल में ऐसा फंसा कि उसे हंबनटोटा बंदरगाह में चीन को 80 प्रतिशत हिस्सा 99 साल के लिए पट्टे पर देना पड़ा। म्यांमार में सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण रखने वाली म्यांमार सेना पर भी चीन अपना प्रभाव जमा चुका है। इसी तरह ढाका में नौकरशाही-सेना-राजनीतिक गठजोड़ में भी चीन ने गहरी पकड़ बना ली है। भारत को लेकर चिनफिंग ने 'कभी नरम, कभी गरम' वाली नीति अपनाई है। एक ओर बीजिंग भारत से बेहतर रिश्तों की बात करता है तो दूसरी नई दिल्ली को हिदायत देता है कि वह डोकलाम से सही सबक ले। वह व्यापक कारोबारी रिश्तों की दुहाई तो देता है, लेकिन एनएसजी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रवेश पर

चीन में भारत के लिए उम्मीद (अमर उजाला)

इन दिनों देश और दुनिया के अर्थविशेषज्ञ यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध में भारत से चीन को निर्यात बढ़ने की नई संभावनाएं निर्मित हो गई हैं। पिछले दिनों अमेरिका ने चीन के 1300 उत्पादों पर 25 फीसदी आयात शुल्क लगाने का निर्णय लिया, वहीं इसके जवाब में चीन ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में आयात होने वाले 128 उत्पादों पर 25 फीसदी आयात शुल्क लगाने का निर्णय ले लिया। इन उत्पादों में सोयाबीन, तंबाकू, फल, मक्का, गेहूं, रसायन आदि शामिल हैं। चीन के द्वारा लगाए गए आयात शुल्क के कारण अमेरिका की ये सारी वस्तुएं चीन के बाजारों में महंगी हो जाएंगी। चूंकि इनमें से अधिकांश वस्तुएं भारत भी चीन को निर्यात कर रहा है और भारतीय वस्तुओं पर चीन ने कोई आयात शुल्क नहीं बढ़ाया है। ऐसे में ये भारतीय वस्तुएं चीन के बाजारों में कम कीमत पर मिलने लगेंगी। इससे चीन को भारत का निर्यात बढ़ेगा।

वैसे भी विगत 26 मार्च को नई दिल्ली में चीन के वाणिज्य मंत्री झोंग शैन तथा भारतीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु के साथ दोनों देशों के उच्च अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दोनों देशों ने नए वैश्विक कारोबार परिदृश्य के मद्देनजर आपसी कारोबार बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुरेश प्रभु ने याद दिलाया कि भारत का बढ़ता हुआ व्यापार घाटा दोनों देशों के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की राह में एक चिंताजनक मुद्दा बना हुआ है। वहीं चीन के वाणिज्य मंत्री शैन ने भरोसा दिया कि भविष्य में चीन की ओर से प्रयास होगा कि भारत-चीन के बीच व्यापार असंतुलन में कमी आए।

गौरतलब है कि भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2017 में चीन को भारत का निर्यात 16.34 अरब डॉलर मूल्य का रहा। जबकि चीन से भारत ने 68.10 अरब डॉलर का आयात किया। यानी भारत का व्यापार घाटा 51.76 अरब डॉलर रहा। 2017 में भारत और चीन के बीच व्यापार की ऐतिहासिक ऊंचाई और भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा तब रहा, जब दोनों देशों के बीच दोकलम विवाद और अन्य मुद्दे मसलन चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन द्वारा जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध के भारतीय प्रयास में अड़चन और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के प्रवेश पर बाधा पहुंचाई जा रही थी। इस बीच, भारत ने दलाई लामा के भारत में आगमन के 60 वर्ष पूर्ण होने पर धन्यवाद समारोह दिल्ली के बजाय धर्मशाला में स्थानांतरित कर भविष्य में अच्छे संबंधों का रास्ता निकाला। ऐसे परिदृश्य में इस साल भारत-चीन का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है।

वैश्विक शोध संगठन स्टैटिस्टा और डालिया रिसर्च ने 'मेड इन कंट्री इंडेक्स' में उत्पादों की साख के अध्ययन के आधार पर कहा है कि गुणवत्ता के मामले में 'मेड इन इंडिया' 'मेड इन चायना' से आगे है। चूंकि भारतीय उत्पाद गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होते हैं, इसलिए यहां ऐसा कोई कारण नहीं है कि चीनी उपभोक्ता और कंपनियां इनकी खरीद नहीं कर सकतीं। चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारतीय निर्यातकों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। चीन से व्यापार में मुकाबला करने के लिए भारत को कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने वाले देश के रूप में बाजार में पहचान बनानी होगी। इसके साथ ही हमें अपनी बुनियादी संरचना में व्याप्त अकुशलता एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर उत्पादन लागत कम करने के रास्ते भी तलाशने होंगे।

समर्थन से पीछे हट जाता है। आतंक के मसले पर संयुक्त कार्रवाई की बात करता है, लेकिन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर वीटो के जरिये पाकिस्तान का बचाव भी करता है। असल में चीन ने मोदी के सामने एक चक्रव्यूह सा रचा है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मोदी को अपना कौशल दिखाना होगा।

चीन की चाल (जनसत्ता)

भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद थमे ज्यादा वक्त नहीं बीता है कि चीन की दो हरकतों ने भारत को फिर से सकते में डाल दिया। हाल में अरुणाचल प्रदेश के असाफीला में भारतीय सैनिकों की गश्त को लेकर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह मामला अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी जिले का है। यह इलाका चीनी सीमा से सटा है। चीन इस बात से बौखलाया हुआ है कि भारतीय सेना के जवान यहां गश्त क्यों लगा रहे हैं। उसका कहना है कि यह विवादित इलाका है। हालांकि भारत ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया कि सुबानसिरी क्षेत्र और असाफीला इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे लेकर चीन को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में पता है और वह हमेशा की तरह इलाके में गश्त जारी रखेगी। दरअसल, 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से ही चीन अरुणाचल के बड़े हिस्से पर अपना दावा जताता रहा है।

दूसरी घटना लद्दाख क्षेत्र की है, जहां पैंगोंग झील के पास तीन बार चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि लद्दाख सेक्टर में इस साल 28 फरवरी से 12 मार्च के बीच चीनी सैनिक तीन बार भारतीय सीमा में छह किलोमीटर तक घुस आए। पिछले एक महीने के दौरान अतिक्रमण की बीस कोशिशें हुई थीं। सीमाओं को लेकर हमेशा कोई न कोई टंटा खड़े करते रहना चीन की पुरानी फितरत रही है। भारत-चीन की सीमा करीब चार हजार किलोमीटर लंबी है। इसमें हिमालय के दुर्गम इलाके भी आते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा सीमांकन संभव नहीं है जिससे सीमा रेखा का स्पष्ट रूप से पता चल सके। चीन हमेशा इसी का फायदा उठाता रहा है। पहले वह भारतीय सीमा में कई किलोमीटर तक अपने सैनिकों की घुसपैठ कराता है और फिर हर क्षेत्र को 'विवादित' बताते हुए उस पर कब्जे की ताक में रहता है। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी से लेकर डोकलाम तक चीन ने यही किया।

चीन के अपने ज्यादातर पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद हैं। ऐसा वह अपने साम्राज्यवादी-विस्तारवादी प्रभाव को बनाए रखने के लिए करता है। चीन इस वक्त तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है। इसमें उसके सामरिक और व्यापारिक दोनों हित हैं। दक्षिण चीन सागर में सैन्य अड्डा बना कर उसने अमेरिका तक की नौद उड़ा दी है। हिंद महासागर में प्रभाव जमाने के लिए उसने मालदीव को ठिकाना बना लिया है। मध्यपूर्व में पहुंच बनाने के लिए चीन पाकिस्तान में आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है। नेपाल में भी चीन अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। चीन के इस तरह के कदमों से क्षेत्रीय शांति की कोशिशों को धक्का पहुंचता है। कूटनीतिक, सामरिक, कारोबारी या फिर अन्य किसी भी नजरिए से देखें, साफ है कि चीन भारत को घेर कर उसे दबाव में रखना चाहता है, ताकि उपमहाद्वीप में उसका प्रभाव न बढ़ पाए। सीमा विवाद जैसी घटनाओं से चीन का दोहरा चरित्र उजागर होता है। एक तरफ तो वह भारत से अच्छे रिश्तों की दुहाई देता है, और दूसरी ओर, ऐसी चालें चलता है जो संबंध सुधार की संभावना पर पानी फेर देती हैं।

आर्थिक गलियारा क्या है और उसका इतिहास क्या है?

- चूंकि विश्व की अधिकतर जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्ध में निवास करती है, इसलिए नए बाजारों की खोज में शुरू से ही समुद्रों का सहारा लिया गया। भारत भी उसी खोज का परिणाम रहा। कुछ एक अपवाद जैसे ब्रिटेन के महाशक्ति रहने के दौरान व्यापार दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ, अन्यथा यह सामान्य रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर ही होता आया है। इसी तरह का एक व्यापार मार्ग मध्य एशिया से पाकिस्तान, उत्तरी भारत में होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत तक पहुंचा करता था।
- भारत-पाकिस्तान विभाजन के कारण उत्तरी भारत, अफगानिस्तान जैसे बाजारों से कट गया। पाकिस्तान को भी हानि हुई।
- सन् 1991 में भारत में उदारीकरण के साथ ही नए आर्थिक द्वार खुले और तब से पाकिस्तान को भारत के साथ आर्थिक और व्यावसायिक द्वार खोलने पड़े।
- चीन-पाकिस्तान के इस आर्थिक गलियारे ने पारंपरिक उत्तर-दक्षिण व्यापार पथ को पलटकर रख दिया है। पाकिस्तान ने ऐसे आर्थिक और भौगोलिक मार्ग को चुन लिया है, जिसका नक्शा चीन तय करता रहेगा।

'वन बेल्ट वन रोड' पहल क्या है?

- रेशम सड़क आर्थिक पट्टी तथा 21वीं सदी की सामुद्रिक रेशम सड़क की दो परियोजनाओं को मिलाने के लिये सितंबर 2013 में 'वन बेल्ट, वन रोड' कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था।
- विश्व के 55 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), 70 प्रतिशत जनसंख्या तथा 75 प्रतिशत ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने की क्षमता वाली यह योजना वास्तव में चीन द्वारा भूमि एवं समुद्री परिवहन मार्ग बनाने के लिये है, जो चीन के उत्पादन केंद्रों को दुनिया भर के बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेंगे।
- साथ ही साथ इससे चीन की अर्थव्यवस्था, श्रमशक्ति एवं बुनियादी ढांचा-तकनीक भंडारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- बेल्ट के गलियारे यूरेशिया में प्रमुख पुलों, चीन-मंगोलिया-रूस, चीन-मध्य एवं पश्चिम एशिया, चीन-भारत-चीन प्रायद्वीप, चीन-पाकिस्तान, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार से गुजरेंगे।
- सामुद्रिक रेशम मार्ग अथवा "रोड" बेल्ट के गलियारों का सामुद्रिक प्रतिरूप है और उसमें प्रस्तावित बंदरगाह तथा अन्य तटवर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नेटवर्क है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया से पूर्वी अफ्रीका तथा उत्तरी भूमध्य सागर में बनाए जाएंगे।

भारत एवं दक्षिण-एशिया पर इसका प्रभाव

- यह समझौता पाकिस्तान के लिए भी अनवरत संघर्ष का विषय बना रहेगा। पाकिस्तान को इससे लाभ होने की भी कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। यह एक तरह से चीन का पाकिस्तान में निवेश है, जिसे लौटाया जाना है। इसके अलावा चीन का निवेश पाकिस्तानी जनता के किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि यह चीनी बैंकों से सीधा पाकिस्तान में उसकी निर्माणाधीन उन परियोजनाओं पर लगाया जाएगा, जिनमें चीनी लोग ही काम करेंगे।
- चीन के लिए यह समझौता अवश्य ही बहुत लाभ का है। इससे चीन को हिंद महासागर में प्रवेश मिल गया है। इसके माध्यम से चीन ने भारत और उसके पड़ोसी देशों के अलावा पश्चिम एशिया में अपना राजनैतिक और सैनिक प्रभुत्व बनाने के लिए एक उपनिवेश स्थापित कर लिया है।
- यही कारण है कि इसे चीनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सेनाओं का मिलन भी भारत के लिए चिंता का दूसरा विषय है।



संभावित प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में भारत-चीन के मध्य बढ़ता द्विपक्षीय व्यापार रिश्तों में बेहतर संबंध स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

गणित पर गणित : सीबीएसई बोर्ड

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का गणित का पेपर लीक मामला चर्चा में रहा। देश में व्यापक आधार वाले प्रतिष्ठित सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद बोर्ड की जैसी छवि बनी, उसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ही कहा जा सकता है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'दैनिक ट्रिब्यून' एवं 'पत्रिका' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

लीक की सीख (दैनिक ट्रिब्यून)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा के परीक्षार्थियों के लिए मंगलवार को एक राहत भरी खबर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ट्वीट से आई। यह कि दसवीं कक्षा का गणित का पेपर दोबारा नहीं होगा। देश में व्यापक आधार वाले प्रतिष्ठित सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद बोर्ड की जैसी छवि बनी, उसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ही कहा जा सकता है। हालांकि 10वीं कक्षा के गणित और 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के पेपर लीक मामले में जांच शुरू हो चुकी है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सीबीएसई के एक अधिकारी को निलंबित करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जांच के लिए एक समिति भी गठित की है। पहले पेपर लीक मामले में लीपापोती और फिर स्थापित मानदंड या प्रक्रिया का पालन किये पहले दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा, फिर परीक्षा न कराने का फैसला यह दर्शाता है कि बोर्ड व मंत्रालय में सब कुछ सुचारु व व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा है।

विडंबना है कि प्रश्नपत्र लीक होने, दोबारा परीक्षा कराने और अब परीक्षा न कराने की तमाम घोषणाएं किसी राजनीतिक बहस-चर्चा की ही तरह ट्विटर पर ही निपटाई जाती रहीं। तीस मार्च को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीटों की झड़ी लगा दी और बताया कि विद्यार्थियों के प्रति सरकार संवेदनशील है। कुल नौ ट्वीट करके मंत्री महोदय ने देश को बताया कि दोबारा परीक्षा लिया जाना विद्यार्थियों के हित में नहीं है, लिहाजा जांच कराके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल एनसीआर और हरियाणा राज्यों के परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़े। यदि लीक का असर व्यापक हुआ तो जुलाई में पुनः परीक्षा होगी। सीबीएसई का यह बयान गौरतलब है कि '10वीं की परीक्षाएं 11वीं के लिए प्रवेश द्वार होती हैं और स्कूली शिक्षा का आंतरिक भाग बनी रहती हैं। दूसरी ओर 12वीं कक्षा की परीक्षाएं उच्च शिक्षा एवं सीमित सीटों वाली विभिन्न पेशेवर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का प्रवेश द्वार होती हैं। लिहाजा, 12वीं के अर्थशास्त्र के पेपर के कथित लीक के मुट्ठी भर लाभार्थियों को अनुचित फायदा देना छात्रों के व्यापक हित में नहीं होगा।' किसी बोर्ड परीक्षा के पर्चा लीक होने या परीक्षा कराने के मामले को राजनीतिक रंग दिये जाने का ढंग जितना चौंकाने वाला है, उतना ही चिंतनीय है ट्विटर शैली में इस प्रकरण को निपटाने का नजरिया। बेहतर हो सीबीएसई व सरकार नकल, प्रश्नपत्र लीक जैसे मामलों पर समग्रता और गंभीरता से विचार करे।

सीबीएसई : पेपर लीक होने के जख्म गहरे (पत्रिका)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश भर के विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी तनाव से मुक्त रहते हुए परीक्षा देने की नसीहत दे रहे थे, उस वक्त वे परीक्षा संचालित करने वाले प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारियों के बारे में बात करना भूल गए। साथ ही वे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने से चूक गए; वह यह कि विद्यार्थियों पर परीक्षाओं को लेकर तनाव के बोझ की एक बहुत बड़ी वजह देश के नामी संस्थानों में प्रवेश को लेकर चिंता है, क्योंकि इन संस्थानों में प्रवेश के लिए कट ऑफ प्रतिशत कई बार 99 प्रतिशत से भी अधिक हो जाती है।

देश में जिस तरह से रोजगार के अवसरों की कमी है, उसके चलते भी छात्र तनावग्रस्त रहते हैं। सीबीएसई कक्षा 10 व 12 की परीक्षाएं छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। दसवीं कक्षा का छात्र पहली बार बोर्ड की सार्वजनिक परीक्षा देता है। इन परीक्षाओं के परिणाम न केवल अच्छे कॉलेजों में दाखिले के लिए बल्कि करियर के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई पर सब कुछ दांव पर लगाए बैठे होते हैं। इन नाजुक हालात में सीबीएसई की कक्षा दस का गणित और 12 का अर्थशास्त्र का पेपर लीक होना परीक्षा प्रणाली की घोर विफलता और खामियां उजागर करने के लिए काफी है। छात्रों की मनःस्थिति का अनुमान लगाना कठिन है। इस वक्त करीब बीस लाख छात्र इस मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। इन परीक्षा प्रश्न पत्रों के लीक ने हमारे संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा दिया है।

प्रश्नपत्रों की लीक का असर जितना व्यापक है उतने ही गहरे जख्म भी देगा। पूरे देश को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। सीबीएसई परीक्षा परिणाम न केवल डीयू जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए निर्णायक माने जाते हैं बल्कि जेईई मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ प्रतिशत भी इसी आधार पर तय की जाती है। सीबीएसई की साख में अगर थोड़ी भी गिरावट आती है तो वह एक प्रकार से इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं की साख को भी प्रभावित करती है। कुछ भी हो परीक्षा दोबारा लेना हर हाल में उन छात्रों के हितों पर कुठाराघात है, जो जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों की इस पीड़ा के लिए कौन जवाबदेह है? क्या मोदी जी एक बार फिर छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे कि इस तनाव से कैसे निजात पाएं जो उनकी सरकार की प्रशासनिक खामियों की वजह से परीक्षार्थियों को मिला है। इंतजार है उनकी नई किताब 'री-एग्जाम वारियर्स' बाजार में कब आएगी?

सीबीएसई पेपर लीक की जांच करेगी विनय शील ओबेराय

क्या: विनय शील ओबेराय कमेटी

किसलिए: सीबीएसई प्रश्न पत्र लीक की जांच

किसने: मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को लीक होने से बचाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की घोषणा 4 अप्रैल, 2018 को की।
- सात सदस्यीय इस कमेटी की अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्च शिक्षा सचिव विनय शील ओबेराय करेंगे।
- यह कमेटी मुद्रण प्रेस से लेकर परीक्षार्थियों तक प्रश्न पत्रों की पहुंच प्रणाली में निहित खामियों की जांच करेगी। साथ ही कमेटी उस व्यवस्था की पड़ताल करेगी जिससे कि बिना किसी छेड़छाड़ के प्रश्न पत्र
- ध्यातव्य है कि हाल में सीबीएसई द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा के गणित के पेपर तथा 12वीं के अर्थशास्त्र के पेपर आउट हो गये थे।
- कमेटी को 31 मई, 2018 तक रिपोर्ट देनी है।
- सात सदस्यीय कमेटी के अन्य सदस्य हैं; पवनेस कुमार, जे-एस-राजपूत, वसुधा कामत, के-एम-त्रिपाथी, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर के डीजी के प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव स्कूली शिक्षा।

वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018

रिपोर्ट का उद्देश्य

- विश्व बैंक की 'वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018: लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस' (LEARNING to Realize Education's Promise) शिक्षा पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से चार विषयों पर गंभीरता से विचार करती है:
- शिक्षा का वादा।
- 'सीखने की प्रक्रिया' पर अधिक जोर।
- कैसे स्कूलों में 'सीखने की प्रक्रिया' को बढ़ावा मिले?
- कैसे व्यवस्था को 'सीखने की प्रक्रिया' के अनुकूल बनाया जाए?

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें केवल सामान्य रूप से शिक्षा पर चर्चा नहीं की गई है बल्कि कुपोषण और गरीबी से शिक्षा के अंतर्संबंध एवं इसके निजीकरण पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि लाखों युवाओं को जीवन में बेहतर करने का मौका इसलिये नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल उन्हें जीवन में सफल होने के लिये आवश्यक शिक्षा देने में नाकाम रहते हैं।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि कम-आय वाले देशों में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टार्टिंग की दर समृद्ध देशों की तुलना में तीन प्रतिशत अधिक है।

- बचपन के स्टार्टिंग के यानी अल्प-वृद्धि का प्रभाव वयस्कता में भी बना रहता है।
- इस रिपोर्ट के कई अन्य महत्वपूर्ण सुझावों में से सबसे अहम सुझाव यह है कि भारत में प्राइवेट स्कूलों का भी प्रदर्शन सार्वजनिक विद्यालयों जैसा ही है।
- यानी इस रिपोर्ट के बिंदु इस प्रचलित अवधारणा की विरोधाभासी तस्वीर पेश करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है।
- ग्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के तीन चौथाई और पाँचवीं कक्षा के आधे से ज्यादा छात्र दो अंकों का जोड़-घटाने वाला मामूली सवाल हल करने में सक्षम नहीं हैं।
- निम्न और मध्यम आय वाले 12 वैसे देशों की सूची में मालावी के बाद भारत दूसरे स्थान पर है जहाँ वैसे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कक्षा 2 में हैं और किसी संक्षिप्त पाठ का एक भी शब्द नहीं पढ़ सकते हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिये, शिक्षा के जरिये गरीबी को खत्म करने और सबको समृद्ध बनाने के विचार को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता।

शिक्षा नीति में बदलाव आवश्यक क्यों?

- भारत के कई राज्यों में प्राथमिक शिक्षा की हालत दयनीय है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे क्लासरूम की छत, शौचालय, बैठने की जगह आदि का आभाव है।
- शिक्षकों की कमी के कारण 'निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाना असम्भव प्रतीत हो रहा है।
- गौरतलब है कि 'निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक, गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिये 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (Teacher Eligibility Test – TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मात्र 5 फीसदी शिक्षक ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण हैं।
- उपेक्षापूर्ण नीतियों के चलते देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था एक - दूसरे के सामानांतर चल रही है: एक- अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तायुक्त शिक्षा, जबकि दूसरी- सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय दर्जे की शिक्षा।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. एक ओर जहां प्रधानमंत्री देश भर के विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी तनाव से मुक्त रह कर परीक्षा देने की नसीहत देते हैं वहीं दूसरी ओर परीक्षा संचालित करने वाले प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारियों पर बात करना भूल गए। इस कथन के संदर्भ में पेपर लीक जैसे मामलों में प्रशासनिक चुनौतियों को स्पष्ट करते हुए ऐसी समस्याओं से निपटने हेतु समुचित समाधानों की चर्चा कीजिए।